छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 4–8/2023/29–1/ नवा रायपुर, दिनांक 03 अक्टूबर, 2023

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त,**
छत्तीसगढ़

2. **समस्त कलेक्टर,**
छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन विषयक ।

राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों (Uniform specifications) के अनुसार प्रदेश के किसानों से धान एवं मक्का का उपार्जन किये जाने का निर्णय लिया गया है । खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में धान एवं मक्का उपार्जन की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. समर्थन मूल्य –

भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.06.2023 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 के लिए औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) के धान एवं मक्का के उपार्जन के लिए निर्धारित निम्नानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जावे –

धान कॉमन	–	रूपए 2183 प्रति क्विंटल
धान ग्रेड ए	–	रूपए 2203 प्रति क्विंटल
मक्का	–	रूपए 2090 प्रति क्विंटल

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 हेतु धान, मक्का एवं चावल के लिए निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों की छायाप्रति **परिशिष्ट– 1** पर संलग्न है ।

2. उपार्जन की समयावधि –

खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी दिनांक 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक की जावेगी । समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी दिनांक 1 नवंबर, 2023 से 28 फरवरी, 2024 तक की जावेगी ।

3. प्रति एकड़ खरीदी निर्धारण –

खरीफ वर्ष 2023–24 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 20 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की जाती है । खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की जाती है ।

4. उपार्जन एजेंसी –

4.1. राज्य के समस्त जिलों में धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जावेगा ।

4.2. धान एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मात्र प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा । धान उपार्जन केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी। प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व करनी होगी ।

4.3. यह सुनिश्चित किया जावे कि धान उपार्जन के कार्य में नियोजित सहकारी समितियों एवं राज्य की धान एवं मक्का उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जावे ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित न हो ।

4.4. प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस को छोड़कर अन्य संस्था/समिति को किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन अथवा कलेक्टर द्वारा समर्थन मूल्य पर धान अथवा मक्का की खरीदी हेतु अधिकृत नहीं किया जाएगा ।

4.5. खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में धान की खरीदी विगत खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में संचालित 2617 खरीदी केन्द्रों में एवं खरीफ वर्ष 2023–24 में प्रारंभ किये गये नवीन खरीदी केन्द्रों में की जाएगी । **खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में प्रारंभ किये गये नवीन खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं समयानुसार कर ली जावे ।**

4.6. प्रदेश में 49 मंडियों एवं 75 उपमंडियों (परिशिष्ट–2) के प्रांगण का उपयोग विगत खरीफ विपणन वर्ष अनुसार धान उपार्जन केन्द्र हेतु किया जाएगा । यथासंभव कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इसमें बढ़ोत्तरी की जा सकेगी ।

4.7. राज्य की मंडियों को नियमानुसार देय मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क का भुगतान उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जावेगा ।

5. उपार्जन की अनुमानित मात्रा –

खरीफ वर्ष 2023–24 में राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर 130 लाख मेट्रिक टन धान एवं 10000 मेट्रिक टन मक्का का उपार्जन अनुमानित है । जिलेवार धान के अनुमानित उपार्जन की जानकारी का पत्रक परिशिष्ट–3 पर संलग्न है । **धान एवं मक्का खरीदी कार्य पूर्ण होने पर उपार्जित मात्रा की वास्तविक जानकारी ज्ञात हो सकेगी एवं तदनुसार निराकरण की कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी ।**

6. साख–सीमा की व्यवस्था –

धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु आवश्यक साख–सीमा की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जावेगी ।

7. <u>उपार्जन की प्रकिया</u> –

7.1 खरीफ वर्ष 2022–23 की भांति खरीफ वर्ष 2023–24 में भी सहकारी समितियों द्वारा संचालित निकटस्थ उपार्जन केन्द्र में राज्य के किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का विक्रय किया जा सकेगा । इस हेतु संबंधित गांव को उस समिति के धान उपार्जन केन्द्र के साथ साफ्टवेयर में जोड़ा जाना आवश्यक होगा जिसमें उन्हें धान विक्रय की अनुमति दी जानी है । अतः आपके जिले के जिन गांवों को निकटस्थ उपार्जन केन्द्रों से जोड़ा जाना है, इसकी कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए तथा सभी ग्रामों में इसका प्रचार–प्रसार कर दिया जाये ।

7.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान एवं मक्का का उपार्जन कृषकों से ऋण पुस्तिका के आधार पर ही किया जावेगा तथा क्रय मात्रा का इन्द्राज संबंधित समिति के प्रबंधक/अधिकृत कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी ऋण पुस्तिका में किया जावेगा । अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी किसानों के पास ऋण पुस्तिका उपलब्ध हो, यदि किसी किसान की ऋण पुस्तिका बैंक/अन्य संस्थाओं के पास रखी हो तो उसे डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराई जावे ।

7.3 अधिया/रेगहा के माध्यम से उत्पादित धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिए लाने वाले किसानों द्वारा भूमि की ऋण पुस्तिका लानी होगी तथा उसमें इन्द्राज किया जाएगा । इसके साथ ही स्वंय का वचन पत्र तथा भूमि स्वामी का सहमति पत्र भी उपार्जन केन्द्रों में प्रस्तुत करना होगा । सभी खरीदी केन्द्रों में ऐसी खरीदी के आंकड़ों को पृथक रूप से संधारित किया जावे ।

7.4 **समितियों द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक (शासकीय अवकाश के दिवसों को छोड़कर) धान खरीदी की जायेगी तथा प्रत्येक शनिवार को क्रय किये गये धान की मात्रा, बारदानों का उपयोग तथा समिति को धान उपार्जन हेतु प्राप्त राशि के व्यय की पुष्टि धान खरीदी सॉफ्टवेयर में करना अनिवार्य होगा ।**

7.5 प्रदेश में बीज उत्पादक कृषकों का बीज, बीज निगम द्वारा उपार्जित करने हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था से धान बीज की शुद्धता एवं अंकुरण की जांच/परीक्षण करायी जाती है । उक्त जांच/परीक्षण में जिन कृषकों के धान बीज फेल हो जाते हैं, उसे औसत अच्छे किस्म का होने पर समर्थन मूल्य पर क्रय किया जावेगा । चूँकि परीक्षण के कार्य में समय लगता है, इसलिए धान बीज का समर्थन मूल्य पर चिन्हाँकित खरीदी केन्द्रों में इन किसानों से बीज निगम के प्रमाण पत्र के आधार पर उपार्जन दिनांक 01 मार्च, 2024 से 31 मई, 2024 तक किया जावे ।

7.6 लिकिंग योजना के अंतर्गत विगत खरीफ वर्ष की भांति खरीफ वर्ष 2023–24 में भी मात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कृषकों से ही लिकिंग योजना के अंतर्गत धान का क्रय किया जा सकेगा ।

7.7 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लेनदारों की सूची व अवशेष ऋण का इंद्राज कम्प्यूटर में किया जाए । संबंधित किसान द्वारा धान की उपज उपार्जन केन्द्र में लाये जाने पर उसके द्वारा लायी गई कुल उपज का अधिकतम 25 प्रतिशत ही लिकिंग में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु खरीदा जा सकता है ।

7.8 **विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके । समितियों को प्रदान की जाने वाली राशि सीधे, सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में, अंतरित कर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए । जिले में समितियों को राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना है या मार्कफेड द्वारा सीधे दी जानी है, इसके निर्धारण के लिये कलेक्टर अधिकृत होंगे । किसानों के खाते में राशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. सिस्टम के माध्यम से की जावेगी ।**

7.9 छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा समितियों को मक्का खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके । समितियों को प्रदान की जाने वाली राशि सीधे, सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में, अंतरित कर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए । जिले में समितियों को राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना है या नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सीधे दी जानी है, इसके निर्धारण के लिये कलेक्टर अधिकृत होंगे । **खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में मक्का खरीदी की राशि का समस्त भुगतान कृषकों के खाते में डिजिटल मोड से किया जावे ।**

7.10 खरीदी केन्द्रों में धान एवं मक्का के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु किसानों को टोकन जारी कर धान एवं मक्का की खरीदी की जावे । धान/मक्का खरीदी अवधि का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि किसान उक्त अवधि के दौरान अपना धान/मक्का लाकर विक्रय कर सके । धान/मक्का खरीदी के अंतिम दिन पर्ची जारी नहीं की जावे । धान/मक्का खरीदी के अंतिम दिन शाम 5 बजे तक जो धान/मक्का खरीदी केन्द्र में विक्रय हेतु आयेगा उसे उसी दिन तौल कर खरीदी की जावेगी ।

8. <u>बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न खरीदी व्यवस्था</u> :–

8.1 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1(4)/2018-Py.I दिनांक 03.05.2023 <u>(परिशिष्ट–4)</u> में धान खरीदी कार्य में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न उपार्जन प्रकिया छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिये गये है । **खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी खरीफ वर्ष 2023–24 में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू की जाती है ।**

8.2 बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न खरीद व्यवस्था के माध्यम से खरीदी हेतु किसान पंजीयन करने के संबंध में दिशा–निर्देश विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–8/2023/29–1/ दिनांक 07.08.2023 <u>(परिशिष्ट–5)</u> को जारी किया गया है, तदनुसार पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

8.3 बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी हेतु किसान स्वंय या उसके द्वारा नामांकित एक नामिनी को खरीदी केन्द्र में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन के आधार पर धान विक्रय किया जा सकेगा । नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू, सगा भाई/बहन) एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा ।

8.4 यदि उपरोक्त आधार पर धान खरीदी विक्रय में कठिनाई आती है तो Trusted Person के द्वारा बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन कर धान विक्रय किया जा सकेगा । Trusted Person का नामांकन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, इस संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–8/खाद्य/2023/29–1/पार्ट दिनांक 17.08.2023 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

8.5 आधार प्रमाणीकरण यदि बायोमेट्रिक के माध्यम से नहीं होता है उस स्थिति में अंतिम विकल्प के रूप में आधार से लिंक मोबाईल नंबर में OTP भेजकर किसान, नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी रहेगा ।

8.6 बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली के प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जाए ।

8.7 किसान को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी हेतु खरीदी केन्द्र स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाए ।

8.8 प्रत्येक खरीदी केन्द्र में बायोमेट्रिक आधारित खरीदी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विपणन संघ द्वारा की जावे । प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित प्रक्रिया को समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु लागू करने पर आने वाले व्यय को भारत सरकार द्वारा प्रावधिक कास्टशीट में प्रशासकीय व्यय मद अंतर्गत मान्य किये जाने का अनुरोध खाद्य विभाग भारत सरकार से किया गया है । यदि खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा उपरोक्त व्यय प्रशासकीय व्यय मद में मान्य नहीं की जाती है तो इसका व्ययभार राज्य शासन को वहन करना होगा ।

9. <u>बारदानों की व्यवस्था</u> –

9.1 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में भारत शासन की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान उपार्जन एवं चावल जमा करने हेतु बारदाने की आवश्यक व्यवस्था की जावे । खाद्य विभाग, भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति संबंधी जारी पत्र क्रमांक 15-8/2004-Py.III (Pt.) दिनांक 18 मई, 2017 की प्रति **<u>परिशिष्ट–6</u>** पर संलग्न है । नवीन नीति अनुसार धान की खरीदी शतप्रतिशत नये बोरो में करने के बजाय, 50 : 50 के अनुपात में नये एवं पुराने बोरो में की जावेगी । नये जूट बोरे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कमी की पूर्ति Used Gunny Bags से करते हुए अनुपात बनाये रखा जाए ।

9.2 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 के लिए आवश्यक नये जूट बारदाने की व्यवस्था गत वर्ष अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जूट कमिश्नर कोलकाता से क्रय कर किया जावेगा एवं जिलों को आवश्यकतानुसार संख्या में उपलब्ध कराये जावेंगे । **चावल का उपार्जन केवल नये जूट बारदाने में किया जाए ।**

9.3 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 के लिए **स्टेट पूल में चावल उपार्जन के लिए** आवश्यक नये जूट बारदाने लगभग 0.58 लाख गठान की व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जूट कमिश्नर कोलकाता से क्रय कर किया जावे ।

9.4 Used Gunny Bags की व्यवस्था विगत खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 अनुसार की जावे । स्टेंसिल लगाने, स्टेकिंग करने, रिकार्ड बनये रखने, क्लेम करने का उत्तरदायित्व उपार्जन एजेंसियों यथा समिति, मार्कफेड एवं चावल उपार्जन एजेंसी का होगा । उक्त बारदानों को पलटी कर एवं सही तरीके से निर्धारित नीला रंग में स्टेंसिल किया जावे एवं बारदाने में " Used bag allowed for KMS 2023-24 " का स्टेंसिल लगाया जावे । Used Gunny Bags की व्यवस्था के संबंध में विपणन संघ द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किया जावे । Used Gunny Bags में धान का उपार्जन किया जा सकेगा ।

9.5 मार्कफेड के पास गत खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 के शेष नये जूट बारदाने में खरीफ वर्ष 2023–24 में धान एवं चावल उपार्जन एवं HDPE/PP बारदाने में खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में धान उपार्जन हेतु उपयोग किया जाये । उक्त बारदाने का भौतिक सत्यापन मार्कफेड द्वारा एफ.सी.आई. के साथ करा लिया जावे ।

मार्कफेड द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि गत खरीफ विपणन वर्ष के उपलब्ध सभी नये जूट बारदाने का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में धान खरीदी हेतु हो जावे ।

9.6 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में धान खरीदी हेतु आवश्यक पुराने बारदाने की व्यवस्था गत वर्ष अनुसार किया जावे, यथा –

(i) मिलर के पास उपलब्ध गत खरीफ वर्षों के उपलब्ध पुराने बारदाने

(ii) पीडीएस के बारदानों

(iii) किसान से प्राप्त पुराने जूट बारदानों

(iv) समितियों द्वारा उपलब्ध कराये गये पुराने जूट बारदानों

(v) खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग किये गये जूट बारदानों आदि से की जाए।

पुराने बारदानों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क प्रदान किया जावे ।

9.7 पुराने बोरों का धान खरीदी में उपयोग किये जाने पर भारत शासन द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क का भुगतान किया जावेगा । पुराने बारदाने के उपयोगिता शुल्क भुगतान के संबंध में खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक 15(8)/2004-Py.III (Pt.) दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 एवं 15-14/2018-Py.III दिनांक 13 दिसंबर, 2018 की प्रति क्रमशः **परिशिष्ट–7** एवं **परिशिष्ट–8** पर संलग्न है ।

9.8 पुराने बारदानों की व्यवस्था के संबंध में इस बात का ध्यान रखा जावे की कृषक से बारदाने प्राप्त करने की स्थिति उत्पन्न न हो, किन्तु विशेष परिस्थिति में ही विपणन संघ की अनुमति के पश्चात ही कृषक बारदाने का उपयोग किया जावे ।

9.9 खरीफ वर्ष 2023–24 में पुराने जूट बारदाने की दर 25 रूपये प्रति नग निर्धारित की जाती है ।

9.10 मक्का की खरीदी पुराने बारदानों (पीडीएस/कृषक/खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग में उपयोग किये गये बारदानों) में किया जावे । पुराने बारदाने की राशि का भुगतान पुराने बारदाने हेतु निर्धारित दर अनुसार ही की जावे ।

9.11 पुराने बारदानों के आंतरिक परिवहन हेतु प्रदायकर्ताओं (मिलर/समिति/विपणन संघ आदि) को परिवहन शुल्क प्रदान किया जावे । भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने पर 'अतिरिक्त व्यय' मद से भुगतान हेतु शामिल किया जावे ।

9.12 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा क्रय बारदानों की प्राप्ति निर्धारित रेक पाइंट एवं सड़क मार्ग पर की जाकर उसे धान खरीदी केन्द्रों तक पहुंचाने की समस्त व्यवस्था की जावेगी ।

9.13 संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान जिलों में बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति के संबंध में कलेक्टर्स सतत निगरानी रखेंगे, ताकि धान उपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ।

9.14 धान उपार्जन हेतु जूट कमिश्नर से क्रय कर प्रदाय किए गए नये बारदानों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए एवं निम्न गुणवत्ता के बारदाने किसी भी गठान में पाए जाने पर तत्काल विभाग एवं प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अवगत कराया जाए, ताकि प्रदाय एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके । निम्न गुणवत्ता के बारदानों का उपयोग नहीं किया जाए । इन्हें अलग से रख लिया जाए जिससे निम्न गुणवत्ता के बारदाने प्रदाय एजेंसी को वापस किए जा सकें ।

9.15 जिले में यदि पुराने बारदाने उपलब्ध हों तो उन्हें अलग से भण्डारित किया जाए एवं नए बारदानों को अलग

गोदामों में भंडारित किया जाए, ताकि दोनों प्रकार के बारदानों की संख्या एवं लेखों का पृथक रूप से संधारण हो सके ।

9.16 समितियों में धान उपार्जन हेतु प्रयुक्त नए बारदानों पर समिति का नाम, पंजीयन नंबर एवं धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रूप से की जावे । यह कार्य समितियों को उपलब्ध कराये जा रहे प्रासंगिक व्यय में से स्थानीय स्तर पर की जावे । इससे समितियों द्वारा उपार्जित धान की मात्रा, किस्म एवं गुणवत्ता की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी ।

9.17 किसानों से धान क्रय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये, पुराने अथवा HDPE/PP) का धान उपार्जन हेतु उपयोग किया जा रहा है अथवा मिलर अथवा परिवहनकर्ता को धान प्रदाय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये, पुराने अथवा HDPE/PP) जारी किये जा रहे हैं, उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में की जावे । समिति के भौतिक सत्यापन के दौरान बारदाने के स्टॉक सही नहीं पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जावे ।

9.18 बारदाने की गुणवत्ता एवं विभिन्न स्तर पर बारदाने का रिकार्ड संधारण हेतु मार्कफेड द्वारा निर्देश जारी किया जाए एवं विभाग को सूचित किया जाए ।

9.19 पुराने बारदाने की व्यवस्था के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4–17/2022/29–1 दिनांक 24 अप्रैल, 2023 **(परिशिष्ट–9)** द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

9.20 मार्कफेड द्वारा समितिवार नये एवं पुराने बोरे की आवश्यकता का आकलन कर लिया जावे । मिलर के पास उपलब्ध पुराने बारदाने को धान खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध कराने हेतु टैगिंग का कार्य मार्कफेड द्वारा यथाशीघ्र कर लिया जावे । पीडीएस के पुराने बारदानों को समीपस्थ खरीदी केन्द्र एवं मार्कफेड के बारदाना संग्रहण केन्द्र में पहुंचाने का कार्य समयानुसार कर लिया जावे । मार्कफेड द्वारा धान खरीदी आकलन एवं आवक को ध्यान में रखते हुए नये एवं पुराने बारदाने की उपलब्धता समयानुसार सुनिश्चित की जावे । मार्कफेड द्वारा समिति एवं संग्रहण केन्द्र स्तर पर नये एवं पुराने बारदानों में धान के रखरखाव, उठाव, डिजीटल प्रकिया के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया जावे ।

9.21 खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 के समितियों के पास शेष उपयोगी नये जूट बारदाने/पुराने जूट बारदाने/ HDPE/PP का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में धान खरीदी हेतु उपयोग किया जाए एवं इस हेतु विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान विपणन संघ द्वारा किया जाए । इसका भौतिक सत्यापन भी करा लिया जावे ।

9.22 समिति में धान खरीदी के लिए मिलर से पुराने बारदाने आवश्यकतानुसार ही लिया जावे । मिलर द्वारा खराब/अमानक किस्म का बारदाना दिये जाने पर उसे मिलर को वापस किया जावे । मिलर द्वारा अतिरिक्त बारदाना उपलब्ध कराये जाने पर उसे वापस किया जावे । इसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में करने हेतु प्रावधान किया जावे। विपणन संघ द्वारा इस संबंध में आवश्यक नियम–शर्तें एवं दिशा–निर्देश जारी किया जावे ।

10 <u>उपार्जन हेतु आरंभिक व्यवस्था</u> –

10.1 छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/2767/एफ–03/19/विविध/2021/14–2 दिनांक 11.07.2023 में एकीकृत किसान पोर्टल (Unified Farmer Portal-UFP) के संचालन संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है, जिसके अनुक्रम में खाद्य विभाग द्वारा विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–8/2023/29–1/ दिनांक 07 अगस्त, 2023 जारी किये गये हैं।

10.2 कृषकों द्वारा विक्रय किये गये धान एवं मक्का की राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में डिजीटल मोड

से किया जायेगा । यथाशीघ्र यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सभी कृषकों के खाते खुल जायें तथा बैंक खातों की जानकारी की प्रविष्टि किसान डेटाबेस में कर ली जावे ।

10.3 सहकारी समितियों को दी जाने वाली राशि यदि मार्कफेड द्वारा सहकारी समिति के बैंक खाते में सीधे दी जाना हो तो कलेक्टर द्वारा समितियों के खाते की जानकारी सहित प्रस्ताव प्रबंध संचालक, मार्कफेड को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जावे, ताकि समितियों को राशि अंतरित की जा सके ।

10.4 भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2023–24 हेतु धान एवं मक्का की खरीदी अवधि एवं औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के मापदण्डों का बैनर, हैण्डबिल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों को उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके ।

10.5 सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान एवं मक्का के खरीदी अवधि के बैनर के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टियों को भी प्रदर्शित किया जावे ।

10.6 धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी उपार्जन केन्द्रों के कांटे–बांट तथा जिलों के संग्रहण केन्द्रों एवं चावल उपार्जन गोदामों के धरमकांटो का सत्यापन नियंत्रक विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित होना चाहिए। बांट माप का सत्यापन 24 माह की कालावधि में कम से कम एक बार कराया जाना आवश्यक होता है, जबकि स्वचालित तौल उपकरणों जैसे– इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन एवं धर्मकांटे (वेब्रिज) के सत्यापन की कालावधि 12 माह निर्धारित है । धान खरीदी एवं संग्रहण केन्द्रों के बांट माप के ऑनलाईन सत्यापन के संबंध में नियंत्रक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1765/विमा/धान खरीदी/2017 दिनांक 14.08.2017 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे, उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ट–10 पर संलग्न है । उपार्जन केन्द्र पर निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी किये गये सत्यापन प्रमाण–पत्र, सहज एवं दृष्टिगोचर स्थान पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जावें, जिन्हें विक्रेता किसान आसानी से देखकर उपकरणों की सत्यता को लेकर सुनिश्चित हो सकें ।

10.7 धान एवं मक्का उपार्जन हेतु केन्द्र का चिन्हांकन करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे स्थानों की भूमि नीची अथवा गड्ढे वाली न हो अपितु आस–पास के स्थल से पर्याप्त रूप से ऊंचा स्थान हो जिससे आकस्मिक वर्षा की स्थिति में संग्रहित धान के खराब होने की स्थिति निर्मित न हो । उपार्जन केन्द्र स्तर पर धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु आवश्यक संख्या में पॉलिथीन कवर, डनेज सामग्री/ सीमेंट ब्लॉक/ फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था भी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध होना चाहिए । उपरोक्त हेतु मार्कफेड द्वारा अग्रिम में राशि समितियों को प्रदाय किया जावे ।

10.8 धान एवं मक्का खरीदी केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही धान लाये जाने हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे । खरीफ वर्ष 2023–24 में प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी के लिये नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखे जावे। आर्द्रतामापी यंत्र के उपयोग हेतु समिति प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा दिलाया जावे । सभी खरीदी केन्द्रो में आर्द्रतामापी यंत्र चालू अवस्था में होनी चाहिए । आर्द्रतामापी यंत्र का कैलीब्रेशन यथाशीघ्र धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व करा लिया जावे । जिन स्थानों पर आर्द्रतामापी यंत्र उपयोग योग्य नहीं है, वहां समिति द्वारा नये आर्द्रतामापी यंत्र की व्यवस्था की जावे । अपैक्स बैंक द्वारा आर्द्रतामापी यंत्र के संबंध में भारतीय खाद्य निगम से संपर्क कर मापदण्ड प्राप्त किया जावे । **उपार्जन केन्द्रों में नमी की जांच कर किसानों को आवश्यक समझाईश दी जावे । किसी भी स्थिति में 17 % से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे ।** एन.आई.सी. के द्वारा समितियों में धान

की आर्द्रता एवं अन्य विनिर्दिष्टियों की एंट्री हेतु प्रावधान किया जावे ।

10.9 समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के संग्रहण हेतु जहां तक संभव हो शासकीय भूमि का उपयोग किया जावे एवं यदि अपरिहार्य कारणों से निजी भूमि पर धान संग्रहण की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायत के माध्यम से निजी भूमि किराए पर ली जावे तथा निजी भूमि के किराए की राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जावे ।

10.10 प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्ता के धान एवं मक्का के किस्मवार सेम्पल कृषकों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जावे।

10.11 प्रत्येक गांव में धान एवं मक्का के बोवाई रकबे के साथ–साथ उत्पादन की जानकारी उपार्जन केन्द्र स्तर तथा जिला स्तर पर भी संधारित किया जावे ।

10.12 धान एवं मक्का की खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में धान की भरती तथा तुलाई एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बारदानों, कांटे–बांट इत्यादि की व्यवस्था की जावे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जावे ताकि धान उपार्जन के कार्य में सुगमता बनी रहे ।

11 <u>उपार्जन व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण</u> –

11.1 खरीफ वर्ष 2022–23 की भांति खरीफ वर्ष 2023–24 में भी धान उपार्जन एवं निराकरण की समस्त कार्यवाही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है । खरीफ वर्ष 2023–24 में मक्का उपार्जन का कार्य धान खरीदी के समान ही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है । जिस हेतु निम्न कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराई जावे –

11.1.1 **खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में चेक लिस्ट अनुसार कार्यवाही की जाए <u>(परिशिष्ट–11)</u>** । विगत वर्षों में उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु प्रयुक्त किए गए कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. का परीक्षण करा लिया जाए एवं यदि कोई उपकरण चालू हालत में न हो तो तत्काल उसमें सुधार करा लिया जाए । ये सभी उपकरण चालू हालत में हैं एवं कम्प्यूटर के इंस्टालेशन का कार्य उपार्जन केन्द्र में किया जा चुका है, इस आशय का प्रमाण–पत्र संबंधित सहकारी समिति के प्रबंधक से प्राप्त किया जाए । जिले के समस्त उपार्जन केन्द्रों की कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. की ओ.के. रिपोर्ट प्रबंध संचालक, मार्कफेड को यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाए । साथ ही **नोडल अधिकारी के द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 तक खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर चेक लिस्ट में जानकारी भरकर जिला खाद्य कार्यालय को उपलब्ध करायी जावे । खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी द्वारा चेक लिस्ट की जानकारी की एंट्री दिनांक 15 अक्टूबर, 2023 तक अपने मॉड्यूल में करायी जावे, ताकि ट्रायल रन के दौरान धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा की जा सके** । उपार्जन केन्द्रों में वर्ष 2023–24 के लिए साफ्टवेयर को अपलोड करने के संबंध में समस्त कार्यों हेतु एन.आई.सी. एवं विपणन संघ द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

11.1.2 धान उपार्जन केन्द्र, जहां वास्तविक रूप में धान खरीदी का कार्य होता है, उस स्थान पर ही कम्प्यूटर स्थापित किया जावे ताकि किसान को भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो एवं धान खरीदी कार्य पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बना रहे ।

11.1.3 कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं मोटर साईकल रनर्स का रिजर्व पूल आवश्यकतानुसार रखा जाए ताकि किसी भी आकस्मिक समस्या का तत्काल निराकरण किया जा सके ।

11.2 **खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में सभी खरीदी केन्द्रों में नेटवर्क सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे,**

ताकि वहां पर ऑनलाईन धान की खरीदी की जाए । इससे बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था, धान के लिये राशि एवं बारदाने की व्यवस्था तथा धान के निराकरण में जानकारियों के त्वरित आदान–प्रदान होने के कारण सुविधा होगी। इंटरनेट कनेक्टीविटी हेतु आवश्यक राशि मार्कफेड द्वारा प्रशासकीय मद की राशि से समितियों को आवश्यकतानुसार अग्रिम में प्रदान की जावे ।

11.2.1 कम्प्यूटर में किसी प्रकार की खराबी आने की स्थिति में विगत वर्षों की भांति मेनुअल धान खरीदी का प्रस्ताव तत्काल प्रबंध संचालक, मार्कफेड को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाए । प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा एक बार में अधिकतम 03 दिवस के लिए मेनुअल धान खरीदी की अनुमति दी जा सकेगी । मेनुअल धान खरीदी के रिकार्ड संबंधित सहकारी समिति द्वारा रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे तथा कम्प्यूटर के ठीक होने के उपरांत इसकी एन्ट्री सुनिश्चित की जाएगी । मेनुअल खरीदी के दौरान संबंधित उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र को धान प्रदाय किया जाएगा एवं राईस मिलर्स को धान प्रदाय नहीं किया जाएगा । किसी भी समिति द्वारा संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान 5 दिवस से अधिक समय तक मेनुअल खरीदी किए जाने की स्थिति में अगले वर्ष धान उपार्जन उस समिति में नहीं की जावेगी ।

11.2.2 मेनुअल धान खरीदी के लिए आवश्यक स्टेशनरी की व्यवस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा पूर्व से करा ली जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें धान उपार्जन केन्द्रों को प्रदाय किया जा सके ।

11.2.3 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में समितियों में डाटाएन्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा आउट सोर्सिंग से नियोजित कर 12 माह के लिए किया जाए और इनको मानदेय रू. 18420/– प्रतिमाह प्रदान किया जाए ।

11.2.4 ऑफलाईन उपार्जन केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार रनर्स की नियुक्ति मार्कफेड द्वारा की जावे । मोटर साईकल रनर्स द्वारा प्रतिदिन धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर का डेटा प्राप्त करके विकासखण्ड मुख्यालय पर लाकर विकासखण्ड मुख्यालय से डेटा एन.आई.सी. के माध्यम से इंटरनेट पर दर्ज किया जाएगा । इसी प्रकार एन.आई.सी. के सर्वर से इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त कर धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर में भी पहुंचायेंगे । अतः आप अपने जिले में ऐसे मोटर साईकल रनर्स की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं उपार्जन केन्द्रों के संलग्नीकरण की कार्यवाही मार्कफेड द्वारा निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करावें ।

11.2.5 ऑनलाईन खरीदी केन्द्रों का डेटा नियमित अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये । सभी उपार्जन केन्द्रों का अद्यतन डाटा अपलोड करना जिले के खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक व जिला विपणन अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा । समिति का डेटा 72 घंटे के अंदर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति कंडिका 15 में वर्णित इन्सेंटिव कमीशन हेतु पात्र नहीं होंगे ।

11.2.6 विकासखण्ड मुख्यालय में वर्तमान में उपलब्ध पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के व्ही.सेट को पूरी धान खरीदी अवधि के दौरान कार्यशील अवस्था में बनाए रखने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही समय रहते हुए पूर्ण कर ली जावे ।

11.2.7 खरीफ वर्ष 2023–24 के दौरान संचालित मार्कफेड के सभी धान संग्रहण केन्द्रों में धान की प्राप्ति एवं प्रदाय की व्यवस्था पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं वेब–बेस्ड होगी । **खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में प्रारंभ होने वाले नए संग्रहण केन्द्र में यह कार्य समयानुसार पूर्ण कर लिया जावे ।**

11.2.8 जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों से मार्कफेड के जिन संग्रहण केन्द्रों में धान का प्रदाय किया जावेगा, उनका संलग्नीकरण संबंधित संग्रहण केन्द्रों से शीघ्र कर लिया जावे। कस्टम मिलिंग

कम्प्यूटराईजशेन से संबंधित समस्त प्रकिया की जानकारी विभाग द्वारा कस्टम मिलिंग के संबंध में जारी किए जा रहे आदेश में विस्तृत रूप से दिए जा रहे हैं ।

11.2.9 **धान के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2023–24 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य मार्कफेड द्वारा कराया जावे ।** कृपया मार्कफेड द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

11.2.10 **मक्का के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2023–24 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कराया जावे ।** कृपया नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

11.2.11 **धान एवं मक्का खरीदी के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन जिले के प्रत्येक धान एवं मक्का उपार्जन केन्द्र में दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 से प्रारंभ होकर दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 तक चलेगा ।** इस ट्रायल रन में सभी धान उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र भाग लेंगे । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र का इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा । जो केन्द्र इसमें भाग नहीं लेंगे वे कंडिका 15 में वर्णित इन्सेंटिव कमीशन हेतु पात्र नहीं होंगे । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्वीकृत सभी धान एवं मक्का उपार्जन केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण हो जाए और सभी केन्द्र इस ट्रायल रन में भाग लें।

12 <u>उपार्जन के अन्य बिन्दुओं का प्रशिक्षण</u> –

12.1 खरीदी केन्द्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (<u>परिशिष्ट–1</u>) के धान व मक्का की खरीदी एवं चावल उपार्जन हेतु की गई कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, राज्य भण्डार गृह निगम, खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के मास्टर ट्रेनर्स को **संभागवार प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं एन.आई.सी. द्वारा दिया जावे। मार्कफेड द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम, कलेक्टर एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से चर्चा कर संभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर आयोजित किया जावे ।**

12.2 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अनुविभाग स्तर पर सहकारी समितियों से दो व्यक्तियों अर्थात समिति के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी एवं समिति प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राजस्व विभाग के निरीक्षकों एवं पटवारियों को निर्धारित गुणवत्ता के धान की खरीदी एवं संबंधित अभिलेखों के समुचित रख–रखाव हेतु प्रशिक्षण दिया जावे । अनुविभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलेक्टर द्वारा तैयार किया जावे । **अनुविभागवार प्रशिक्षण का कार्य दिनांक 15 अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण किया जावे ।**

13 <u>गुणवत्ता</u> –

13.1 **उपार्जन एजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुसार (<u>परिशिष्ट–1</u>) औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू.) का धान एवं मक्का क्रय किया जावेगा।**

13.2 एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का का क्रय सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले में संग्रहण केन्द्र स्तर एवं समिति स्तर पर निम्न समितियों का गठन किया जावे –

13.2.1 जिले में प्रत्येक संग्रहण केन्द्र स्तर पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया जावे, जिसमें खाद्य, विपणन संघ, जिला सहकारी बैंक, मंडी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी सम्मिलित हों । उक्त दल के द्वारा संग्रहण केन्द्र से संबंधित समितियों में धान एवं मक्का खरीदी व्यवस्था की निगरानी की जावेगी एवं समिति/संग्रहण केन्द्र स्तर पर धान की गुणवत्ता संबंधी विवादों का निराकरण किया जावेगा। संग्रहण केन्द्र प्रभारी समिति द्वारा भेजे गये धान को अमानक करने हेतु स्वयं अधिकृत नहीं होंगे । संग्रहण केन्द्र में तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित दल द्वारा निरीक्षण कर विनिश्चय करने पर ही धान रिजेक्ट किया जायेगा। धान रिजेक्ट होने पर या तो समिति द्वारा धान वापस ले जाया जायेगा तथा स्पेशीफिकेशन के अनुरूप साफ/परिवर्तित कर विपणन संघ को प्रदाय किया जायेगा ।

13.2.2 सहकारी समिति स्तर पर सही गुणवत्ता एवं पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित करते हुए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाये, जिसमें निम्नानुसार सदस्य रखे जावेंगे –

1. सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के सरपंच
3. कलेक्टर द्वारा नामांकित 1 प्रतिनिधि
4. मा. प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 02 जन प्रतिनिधि (राईस मिलर न हो)

13.2.3 उक्त समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि भारत शासन द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) किस्म की धान एवं मक्का पंजीकृत किसानों से ही क्रय किया जाए ।

13.2.4 जिले में संग्रहण केन्द्र एवं समिति स्तर पर गठित उपरोक्त समितियों के सदस्यों के नाम, पदनाम सहित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा विभाग को अनिवार्य रूप से धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व उपलब्ध कराया जावे ।

14 <u>भुगतान व्यवस्था</u> –

14.1 **किसानों को धान एवं मक्का की राशि का भुगतान डिजीटल मोड से उनके बैंक खाते में राशि का अंतरण कर ही किया जाये ।** अंतरण के प्रमाण स्वरूप कृषकों को निर्धारित प्रारूप में उपार्जन केन्द्र पर ही कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे ।

14.2 धान उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाना है, अतः आवश्यकतानुसार उनकी साख सीमा निर्धारित किए जाने हेतु आवश्यक आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे ।

14.3 जिन समितियों में अधिक मात्रा में धान आता है उन समितियों के खाते वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी खोले जावें, जिससे किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान के भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

14.4 मार्कफेड द्वारा धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व धान के सुरक्षित रखरखाव हेतु समितियों को आवश्यकतानुसार धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय अग्रिम में प्रदान की जावे । नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मक्का खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व मक्का के सुरक्षित रखरखाव हेतु समितियों को आवश्यकतानुसार मक्का भण्डारण व सुरक्षा व्यय अग्रिम में प्रदान की जावे ।

14.5 मार्कफेड द्वारा खरीदी अवधि के दौरान धान उपार्जन हेतु धान का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं

किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा । समितियों द्वारा मदवार व्यय की गई जानकारी कम्प्यूटर में एंट्री की जायेगी ।

14.6 नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीदी अवधि के दौरान मक्का उपार्जन हेतु मक्का का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा । समितियों द्वारा मदवार व्यय की गई जानकारी कम्प्यूटर में एंट्री की जायेगी ।

14.7 प्रासंगिक व्यय व धान/मक्का भण्डारण व सुरक्षा व्यय के मद में प्रदाय की गई अग्रिम राशियों का समायोजन समिति द्वारा उक्त मदों में वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा तथा अव्ययित राशि को कमीशन की राशि से समायोजित किया जाएगा ।

15. <u>समिति को इन्सेंटिव प्रदान करना</u> –

खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में ऐसी समितियों को प्रोत्साहन राशि (इन्सेंटिव) प्रदाय किया जावे, जिनमें :–

1. समिति में शॉर्टेज/कमी की मात्रा निरंक हो,
2. समिति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी हो तथा
3. शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन समिति द्वारा किया गया हो ।
4. परिवहन स्तर पर होने वाली कमी की वसूली/भरपायी मार्कफेड द्वारा परिवहनकर्ता से कर लिये जाने की स्थिति में

समितियों एवं उनके कर्मचारियों को इन्सेंटिव के रूप में 5 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि (2.50 रू. समिति हेतु एवं 2.50 रू. समिति द्वारा धान खरीदी कार्य में नियोजित अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु) प्रदाय की जावेगी ।

16. <u>भण्डारण व्यवस्था</u> –

16.1 धान के उचित भण्डारण हेतु भण्डारण केन्द्र स्थल का चयन, आवश्यक डनेज मटेरियल एवं कैप कव्हर्स आदि की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जावेगा । धान को खुले में कैप कव्हर में भण्डारित करने के लिए विगत खरीफ विपणन वर्ष में क्रय किए गए कैप कव्हर्स, सीमेंट ब्लॉक, चटाई, पॉलीथीन आदि का (जो अच्छी हालत में हो) उपयोग किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार डनेज सामग्री एवं कैप कव्हर मार्कफेड द्वारा समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये ।

16.2 **सभी संग्रहण केन्द्रों में खरीदी केन्द्रों से आने वाले धान की नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखा जाये । आर्द्रतामापी यंत्र का यथाशीघ्र कैलीब्रेशन करा लिया जाये ।**

16.3 मार्कफेड के संग्रहण केन्द्रों में यथासंभव मार्कफेड द्वारा धरमकांटा लगवाने की व्यवस्था की जाए ।

16.4 खरीफ वर्ष 2023–24 में प्रारंभ किये जाने वाले नये धान संग्रहण केन्द्रों में भी धान के सुरक्षित भण्डारण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जावे ।

16.5 संग्रहण केन्द्रों में खरीदी अवधि के दौरान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे जो समिति से आने वाले धान के तौल, पावती प्रदाय, धान की गुणवत्ता, बारदाना में छपाई

आदि व्यवस्था की निगरानी करेगा ।

16.6 मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान को यथासंभव निकटतम मिलिंग केन्द्रों की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारित कराया जावे ।

16.7 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में विगत वर्षों में कुछ जिलों में मिलिंग/भण्डारण की परेशानी को देखते हुए धान के त्वरित निराकरण हेतु एवं उपलब्ध मिलिंग क्षमता के उपयोग हेतु कुछ जिलों में उपार्जित धान की कुछ मात्रा को शुरू से ही अन्य जिलों के संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकतानुसार भण्डारित किया जाए । उक्त हेतु अंतर जिला धान स्थानांतरण हेतु अनुमानित धान भण्डारण की कार्ययोजना **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है । **धान खरीदी का कार्य पूर्ण होने पर उपार्जित धान की मात्रा के आधार पर कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी ।**

16.8 **खरीदी केन्द्र में भण्डारित समस्त धान को मार्कफेड द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 तक अनिवार्य रूप से उठाव कराया जावे ।**

16.9 धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी ।

17. परिवहन व्यवस्था –

17.1 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 हेतु परिवहन की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जायेगा । खाद्य विभाग भारत सरकार के पत्र कमांक 192(14)/2018-FC A/cs दिनांक 06.05.2019 (**परिशिष्ट–12**) में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से धान/सी.एम.आर. का परिवहन दर का निर्धारण किया जावेगा ।

17.2 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में चावल के परिवहन दर का भुगतान धान के परिवहन दर के आधार पर ही किया जाएगा ।

17.3 धान के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन न किये जाने पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है । मार्कफेड द्वारा परिवहन नहीं कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत परिवहन दर पर समितियों द्वारा धान का परिवहन कराया जावे । इस हेतु समिति उसे धान भण्डारण व सुरक्षा मद अथवा प्रासंगिक व्यय के मद में प्रदत्त अग्रिम राशि का उपयोग परिवहन देयकों के भुगतान हेतु कर सकेगी तथा ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति विपणन संघ द्वारा समिति को की जाएगी । समितियों द्वारा धान परिवहन कराये जाने पर संग्रहण केन्द्रों में धान भण्डारण करने हेतु उचित व्यवस्था मार्कफेड द्वारा की जावे ।

17.4 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु उपार्जन केन्द्रों के बफर लिमिट में संशोधन करने हेतु जिले स्तर पर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का संयुक्त दल गठित किया जाता है । उपरोक्त दल उपार्जन केन्द्रों के बफर लिमिट का भौतिक रूप से परीक्षण कर अपनी अनुशंसा कलेक्टर का प्रेषित करेंगें । कलेक्टर द्वारा परीक्षण उपरांत उपार्जन केन्द्रों के बफर लिमिट का निर्धारण किया जावेगा एवं बफर लिमिट निर्धारण की जानकारी प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रेषित की जावेगी, तदनुसार विपणन संघ द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से बफर लिमिट की एंट्री की जावेगी। खरीदी केन्द्र में धान की मात्रा बफर स्टॉक की सीमा से ज्यादा होने पर 72 घंटे के भीतर उसका शीघ्र उठाव कराया जावे ।

17.5 खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये । नई बारदाना नीति एवं धान के त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावे । इस संबंध में जिलों का संलग्नीकरण **परिशिष्ट–3** में दर्शित अनुसार किया जावे । धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिर्वतन किया जा सकता है। खरीदी केन्द्र से अन्य संलग्न जिले के मिलर्स द्वारा मिलिंग हेतु सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना **परिशिष्ट–3** में दर्शित है ।

17.6 मिलर्स को धान प्रदाय करने की प्रक्रिया कस्टम मिलिंग के निर्देश अनुसार की जाए ।

17.7 धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत रेण्डम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा । परिवहनकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर समिति द्वारा शतप्रतिशत धान का वजन कराया जावे ।

17.8 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से धान लाकर सीमावर्ती जिलों के खरीदी केन्द्रों में विक्रय करने की आशंका रहती है । अतः सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स राज्य की सीमा पर आवश्यक चेकिंग दल तत्काल तैनात कर विभाग को सूचित करें । चेकिंग दल में राजस्व, खाद्य, मंडी, सहकारिता फॉरेस्ट एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जावे । सीमावर्ती जिलों की 68 खरीदी केन्द्रो में विशेष निगरानी रखी जावे, ऐसे खरीदी केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट–13** पर संलग्न है ।

17.9 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन राज्य के पंजीकृत किसानों से किया जाना है । धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत इसके विक्रय की आशंका बनी रहती है, इसलिए 30 अप्रैल 2024 तक अन्य राज्यों से धान का आयात संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति से ही हो सकेगा । सुपर फाइन किस्म का धान जो 2500 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिये संचालक, खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है । परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक को देना होगा ।

18. हानि की प्रतिपूर्ति एवं समितियों को कमीशन/प्रासंगिक व्यय –

18.1 खरीफ वर्ष 2023–24 में धान एवं मक्का के उपार्जन कार्य हेतु नियुक्त एजेंसी को भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर देय प्रासंगिक व्ययों के उपरांत भी यदि हानि होती है तो हानि की प्रतिपूर्ति तत्संबंध में राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जावेगी ।

18.2 धान उपार्जन कार्य हेतु निम्नानुसार कमीशन एवं अन्य व्यय देय होंगे –

18.2.1 उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड अथवा मिलर्स को प्रदाय धान हेतु प्रासंगिक व्यय की राशि (मंडी लेबर चार्ज) का निर्धारण राज्य स्तरीय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा पश्चात भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार देय होगी । धान भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय के रूप में 5.00 रूपये प्रति क्विंटल के मान से देय होगी । दिनांक 31 मार्च, 2024 के पश्चात यदि समितियों में धान शेष रहता है तो उस मात्रा पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रासंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार भंडारण अवधि का निर्धारण

करते हुए किया जाएगा । उक्त संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित समस्त दस्तावेज/देयकों की प्रति समितियों द्वारा मार्कफेड को उपलब्ध कराई जाएगी ।

संग्रहण केन्द्रों में हैण्डलिंग चार्ज का निर्धारण उपरोक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा ।

18.2.2 समितियों को धान उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन देय होगा।

18.2.3 राशि 5.00 रूपये प्रति क्विंटल बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में मार्कफेड द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को देय होगी । **रायगढ़ एवं जशपुर जिले में उपरोक्त कार्य अपैक्स बैंक द्वारा किया जाता है, अतः यह राशि अपैक्स बैंक को प्रदाय की जावे।** अपैक्स बैंक को धान खरीदी कार्य में समन्वय एवं पर्यवेक्षण कार्य के रूप में सुपरवाइजिंग कार्य हेतु राशि रूपये 0.50 (50 पैसे) प्रति क्विंटल मार्कफेड द्वारा प्रदाय किया जाएगा । शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 4–8/खाद्य/2014/29–2/2436 दिनांक 04.07.2016 (परिशिष्ट–14) द्वारा निर्धारित किये गये प्रशासनिक कार्यों के अनुसार अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा कार्य सुनिश्चित किए जाने पर एवं विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन किये जाने पर, उक्त राशि मार्कफेड द्वारा प्रदाय की जाएगी ।

18.2.4 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को आवश्यक स्टेशनरी का मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाएगा । इस कार्य हेतु व्यय राशि की प्रतिपूर्ति मार्कफेड द्वारा नहीं की जाएगी ।

18.2.5 मार्कफेड को मिलर्स को अरवा/उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि पर आये व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी ।

18.2.6 **समिति स्तर पर समिति द्वारा मिलर को धान लोड कर प्रदाय किया जावे । संग्रहण केन्द्र से मिलर द्वारा धान उठाव करने पर लोडिंग की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे एवं अनलोडिंग की राशि प्रदाय की जावे।**

18.3 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में मक्का खरीदी कार्य के लिए समिति को कमीशन के रूप में 8 रूपये प्रति क्विंटल, प्रासंगिक व्यय के रूप में 5 रूपये प्रति क्विंटल तथा भंडारण एवं सुरक्षा व्यय के रूप में 1 रूपये प्रति क्विंटल देय होगी ।

19 <u>कस्टम मिलिंग</u> –

19.1 खरीफ विपणन मौसम 2023–24 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा। धान की कस्टम मिलिंग संबंधी समस्त कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । इस संबंध में विस्तृत निर्देश कस्टम मिलिंग प्रकिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं ।

19.2 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत राज्य की पीडीएस की आवश्यकता की पूर्ति हेतु चावल उपार्जन कार्य पूर्व की भांति नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा तथा सरप्लस चावल पूर्वानुसार भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जायेगा ।

20 <u>पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण</u> –

20.1 धान एवं मक्का उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जावेगी । इस संबंध में प्रति वर्ष अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे ।

20.2 धान एवं मक्का उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों को खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800–233–3663 में दर्ज कराया जावे । कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में संचालित किया जाएगा । कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में किया जावे । प्राप्त शिकायत का

निराकरण 3 दिवस के भीतर में उपार्जन एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर एवं कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर किया जावे ।

20.3 जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये । इससे धान उपार्जन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सुविधा होगी, और उपार्जन के दौरान आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा । जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों में पदस्थ कर्मचारियों तथा दूरभाष नंबरों की जानकारी राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को शीघ्र उपलब्ध कराई जावे । इसके साथ ही धान एवं मक्का के उपार्जन से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी नियमित रूप से विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जावे।

20.4 उपार्जित धान एवं मक्का के भुगतान हेतु आवश्यक राशि, बारदानें एवं परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उपार्जन केन्द्र अथवा एक से अधिक उपार्जन केन्द्रों हेतु एक नोडल अधिकारी कलेक्टर द्वारा नियुक्ति किया जावे, जो उक्त समस्त व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं आवश्यक सूचना संबंधितों को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

20.5 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में विगत खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में 1 प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन खरीदी की जावेगी। अपैक्स बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गई ऐसे खरीदी केन्द्रों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट–15) ।

20.6 धान उपार्जन, संग्रहण एवं इसके निराकरण के प्रत्येक स्तर पर संधारित रजिस्टरों एवं अन्य अभिलेखों के प्रारूप में एकरूपता बनाने हेतु मार्कफेड द्वारा इनका आवश्यकतानुसार संख्या में मुद्रण कराकर यथाशीघ्र धान उपार्जन केन्द्र, धान संग्रहण केन्द्र एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध कराया जावे ।

20.7 समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन की समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था कलेक्टरों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न की जावेगी। धान एवं मक्का के उपार्जन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से सीधे संपर्क किया जा सकता है ।

21 सुरक्षा व्यवस्था –

धान एवं मक्का उपार्जन के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्थानीय बैंकों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के परिवहन के दौरान समुचित सुरक्षा हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यकतानुसार संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाये । पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा ।

22 बीमा –

22.1 प्राकृतिक आपदाओं, अग्नि दुर्घटना एवं चोरी से धान की गुणवत्ता अथवा मात्रा प्रभावित होने से राज्य शासन को होने वाली हानि से बचने के लिए मार्कफेड द्वारा धान का बीमा कराया जाये ।

22.2 यदि समिति स्तर पर हुई क्षति का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा समिति की किसी गलती के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है तो इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति समिति द्वारा वहन की जाएगी।

22.3 धान उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का सामूहिक बीमा मार्कफेड द्वारा कराया जाये । इस हेतु उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वांछित जानकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा मार्कफेड को दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध कराई जाये ।

23 **खरीदी केन्द्रों का मिलान** –

धान खरीदी केन्द्रों के मिलान का कार्य समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं मार्कफेड द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण की जाए । मक्का खरीदी केन्द्रों के मिलान का कार्य समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दिनांक 15 जून, 2024 तक पूर्ण की जाए ।

24 **मक्का उपार्जन** –

खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित मक्का का टी.पी.डी.एस. में वितरण नहीं होने के कारण नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा विक्रय खुली निविदा (Open Tender) के माध्यम से विक्रय कर निराकरण किया जावे । नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खुली निविदा (Open Tender) के माध्यम से विक्रय कर निराकरण करने पर हानि प्रतिपूर्ति नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा किया जावेगा ।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु निर्धारित सभी आवश्यक कार्यवाहियां समय–सीमा में पूर्ण करते हुए विभाग को अवगत करावें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

3/10/2023

(टोपेश्वर वर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
नवा रायपुर, दिनांक03अक्टूबर, 2023

पृ.क्रमांक एफ 4–8/2023/29

प्रतिलिपि –

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
9. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को कंडिका 21 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कंडिका 20.1 के संदर्भ में आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
14. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।

15. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
16. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, नवा रायपुर अटल नगर।
17. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., नवा रायपुर अटल नगर।
18. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, नवा रायपुर अटल नगर।
19. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर ।
20. पंजीयक, सहकारी संस्थाए, नवा रायपुर अटल नगर।
21. प्रबंध संचालक, कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर ।
22. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर ।
23. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर को बिन्दु क्रमांक 10.6 के संदर्भ में परिपालन हेतु ।
24. संचालक, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।
25. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी., मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर। उपरोक्त हेतु आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रेषित ।
26. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर ।
27. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
28. समस्त जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. छत्तीसगढ़ ।
29. समस्त जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ छत्तीसगढ़ ।

3/10/2023

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट-1

MOST URGENT
BY EMAIL

No.8-1/2022-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
******

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 05.09.2023

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season (KMS) 2023-24 for central pool procurement-reg.

Sir,

This is in reference to the subject cited above and to say that it has been decided that the Uniform Specifications for paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season 2023-24 shall remain the same as conveyed for the Kharif Marketing Season 2020-21 vide this Ministry's letter No.8-4/2020-S&I dated 28.09.2020 and vide corrigendum dated 26.10.2022 will continue to be applicable unless otherwise communicated by Government of India. A copy of Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21 along with the corrigendum dated 26.10.2022 is enclosed for ready reference.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2023-24 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

3. Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes are also enclosed.

4. Receipt of this communication may please be acknowledged.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tel: 23384784

Encl: As above

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

No.8-4/2020-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
******

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 28 .09.2020

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 2020-21 for central pool procurement-reg.

Sir,

I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21.

It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2020-21 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2020-21 are also enclosed.

Encl: As above.

Yours faithfully,

28/9/2020

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23384784

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).

8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana, Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances.

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limit (%)
1.	Foreign matter a) Inorganic b) Organic	 1.0 1.0
2.	Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains	5.0*
3.	Immature, Shrunken and shrivelled grains	3.0
4.	Admixture of lower class	6.0
5.	Moisture content	17.0

* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4%.

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part -I): 1996, IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: Nos.2813-1995, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.

******

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE (KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conform to prescribed norms under Food Safety & Standards Act, 2006/Rules prescribed hereunder.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions		Maximum Limit (%)	
			Grade 'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	13.0	13.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	14.0	14.0
10.	FRK (Fortified Rice Kernel)	In case of procurement of fortified rice stock, 1% of FRK (w/w) should be blended with normal rice stock.		

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

\# Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut upto 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

******

STANDARDS OF RICE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/ UT ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER WELFARE SCHEMES.

Guidelines for issue/disposal of wheat and rice have been issued vide Department letter No 8-2/98-DRIII dated 27.01.1998 and 13.111998. Gist of standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and OWSs along with updated illustrations for KMS 2020-21 is as under:

1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under.

2. Rice stocks are falling within A, B & C categories (categorization is based on damaged and discolored grains) conforming to food safety norms and free from insect infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and dehusked grains are upto 20% in excess of the uniform specifications.

Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rice based on uniform specifications for KMS 2020-21 is as under:

S.No	Refraction		Maximum limit (%) as per uniform specifications for Grade 'A' & Common	Maximum permissible limit (%) for Grade 'A' & Common
1	Damaged/Slightly Damaged/Pin-point Damaged Grains	Raw	3	5
		Parboiled/Single Parboiled Rice	4	5
2	Discolored Grains	Raw	3	7
		Parboiled/Single Parboiled Rice	5	7
3	Broken	Raw	25	30
		Parboiled/Single Parboiled Rice	16	19
4	Chalky Grains	Raw	5	6
5	Red Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	3	4
6	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	13	16
7	Foreign Matter	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	0.5	1.0

UNIFORM SPECIFICATION FOR MAIZE
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

The maize shall be the dried and matured grain of *Zea mays*. It shall have uniform shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to prescribed norms under Food Safety & Standards Act,2006/Rules prescribed hereunder.

Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, moulds weevils, obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No.	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	2.0
3.	Damaged grains	1.5
4.	Slightly damaged, discoloured and touched grains	4.5
5.	Shrivelled & Immature grains	3.0
6.	Weevilled grains	1.0
7.	Moisture content	14.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N.B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: 2813- 1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra Seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should not be treated as shrivelled and immature grains.

******

MOST URGENT
BY EMAIL

No.8-1/2022-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
******

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 26.10.2022

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

CORRIGENDUM

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season (KMS) 2022-23 for central pool procurement-reg.

Sir,

In continuation to Ministry's letter of even no dated 19.09.2022 on the subject cited above, it is to say that the limit of the Mineral/ Inorganic extraneous matter component of Foreign Matter of rice may be read as 0.2% and Maximum permissible limit (%) for Grade 'A' & Common in respect of Chalky grains prescribed for issue to State Governments/ UT Administrations for distribution under TPDS and other welfare schemes may be read as 5% respectively.

2. The other contents of the aforementioned letter remain unchanged.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully

(Vishwajeet Haldar) 26/10/2022
Deputy Commissioner (S&R)
Tel: 23384784

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

परिशिष्ट-2

जिलेवार मंडी/उपमंडी प्रांगणों में धान उपार्जन केन्द्रों की सूची

क्र.	जिले का नाम	क्र.	मण्डी /उपमण्डी		
			मण्डी	क्र.	उपमण्डी
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर		–	1	सिलयारी (रायपुर)
		1	नवापारा		–
		2	आरंग	2	भैसा (आरंग)
		3	नेवरा	3	खरोरा (नेवरा)
		4	अभनपुर		–
2	बलौदा बाजार		–	4	सिमगा (भाटापारा)
		5	बलौदाबाजार (पनगांव)	5	पलारी/रसौटा (बलौदाबाजार)
3	गरियाबंद	6	गरियाबंद	6	छुरा (गरियाबंद)
				7	देवभोग (गरियाबंद)
		7	राजिम		–
4	महासमुद	8	महासमुद	8	झलप (महासमुन्द)
				9	भोरिंग (महासमुन्द)
		9	बागबहरा		–
		10	सरायपाली	10	बलौदा (सरायपाली)
				11	तोषगांव (सरायपाली)
		11	बसना	12	भंवरपुर (बसना)
				13	सिंघनपुर (बसना)
		12	पिथौरा	14	भुरकोनी (पिथौरा)
				15	पिरदा (पिथौरा)
5	धमतरी		–	16	आमदी (धमतरी)
				17	छाती (धमतरी)
			–	18	मगरलोड (कुरूद)
				19	सिर्री (कुरूद)
				20	भेण्डी (कुरूद)
		13	नगरी	21	रिसगांव (नगरी)
				22	बेलरबाहरा (नगरी)
				23	गट्टासिल्ली (नगरी)
6	दुर्ग	–			
7	बालोद		–	24	डौंडी लोहारा (बालोद)
				25	डौंडी (बालोद)
				26	गुरूर (बालोद)
8	बेमेतरा	14	बेमेतरा	27	थान खम्हरिया (बेमेतरा)
				28	साजा (बेमेतरा)
				29	बेरला (बेमेतरा)
				30	दाढ़ी (बेमेतरा)
9	राजनांदगांव	15	डोंगरगांव		–
		16	बांधाबाजार		–
10	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	17	गण्डई		

JSFood

11	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी		–		
12	कबीरधाम	18	कवर्धा	31	पिपरिया (कवर्धा)
			–	32	बिरनपुरकला (कवर्धा)
		19	पण्डरिया	33	कुण्डा (पण्डरिया)
13	बिलासपुर	20	बिलासपुर	34	बिल्हा (बिलासपुर)
				35	बेलतरा (बिलासपुर)
		21	तखतपुर		–
		22	कोटा	36	रतनपुर (कोटा)
		23	जयरामनगर		–
14	गोरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	24	पेण्ड्रारोड		–
15	मुंगेली		–	37	सरगांव (मुंगेली)
				38	पथरिया (मुंगेली)
		25	लोरमी		–
16	जांजगीर		–	39	शिवरीनारायण (नैला)
				40	बलौदा (नैला)
			–	41	राहौद (अकलतरा)
		26	चांपा	42	बिर्रा (चांपा)
17	सक्ती		–	43	बाराद्वार (सक्ती)
		27	आमनदुला	44	चंद्रपुर (आमनदुला)
				45	कोटमी (आमनदुला)
		28	जैजैपुर	46	हसौद (जैजेपुर)
18	कोरबा	29	कटघोरा	47	भैसमा (कटघोरा)
			–	49	खरमोरा (कटघोरा)
19	रायगढ़	30	रायगढ़	50	पुसौर (रायगढ़)
			–	51	सलिहाभांठा (घरघोड़ा)
			–	52	धरमजयगढ़ (घरघोड़ा)
		31	खरसिया		–
20	सारंगढ़–बिलाईगढ़	32	सारंगढ़	53	केडार (सारंगढ़)
		33	भटगांव	54	सरसींवा (भटगांव)
		34	बरमकेला	55	सरिया (बरमकेला)
21	सरगुजा	35	अंबिकापुर	55	ककनी (अंबिकापुर)
			–	56	उदयपुर (अंबिकापुर)
22	जशपुर	36	जशपुर	57	कुनकुरी (जशपुर)
		37	पत्थलगांव	58	कोतबा (पत्थलगांव)
23	सूरजपुर	38	सूरजपुर		–
		39	प्रतापपुर		–
24	बलरामपुर	40	रामानुजगंज		
		41	कुसमी	59	बरियों (कुसमी)
			–	60	राजपुर (कुसमी)
25	कोरिया	42	बैकुण्ठपुर		–
26	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	43	मनेन्द्रगढ़		–

JS fwd

27	जगदलपुर		–	61	तोकापाल (जगदलपुर)
				62	देवडा (जगदलपुर)
28	कोण्डागांव		–	63	फरसगांव (कोण्डागांव)
		44	केशकाल	64	धनोरा (केशकाल)
				65	विश्रामपुरी (केशकाल)
				66	गम्हरी (केशकाल)
29	कांकेर	45	कांकेर	67	सरोना (कांकेर)
				68	बारदेवरी (कांकेर)
		46	चारामा	69	लखनपुरी (चारामा)
				70	नरहरपुर (चारामा)
		47	संबलपुर	71	कोरर (संबलपुर)
				72	भानुप्रतापपुर (सम्बलपुर)
		48	पखांजूर	73	अंतागढ (पखांजूर)
30	दंतेवाड़ा	49	गीदम		–
31	सुकमा		–	74	सुकमा (कोन्टा)
			–	75	कुकानार (कोन्टा)
32	नारायपुर	–			
33	बीजापुर	–			
योग			49		75

संक्षेपिका

1	मंडी की संख्या	49
2	उपमंडी की संख्या	75
	योग	124

JSfw2

परिशिष्ट–03

खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में धान उपार्जन एवं निराकरण की संभावित कार्ययोजना

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2023–24 में अनुमानित धान उपार्जन	मिलर द्वारा समिति से सीधे उठाव				संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण			
			स्वयं के जिले से	अन्य जिले के मिलर		स्वयं एवं अन्य जिले की समितियों से सीधे उठाव की मात्रा	स्वयं के जिले के संग्रहण केन्द्र में	अन्य जिले के संगहण केन्द्र में		संग्रहण केन्द्रों को कुल प्रदाय धान की मात्रा
			मात्रा	जिला	मात्रा		मात्रा	जिला	मात्रा	
1	बस्तर	241436	140000	रायपुर/दुर्ग/धमतरी एवं अन्य मैदानी जिले	51436	191436	50000	–	0	50000
2	बीजापुर	113800	6000	बस्तर एवं अन्य मैदानी जिले	42800	48800	0	बस्तर	65000	65000
3	दन्तेवाड़ा	30516	8000	बस्तर एवं अन्य मैदानी जिले	7516	15516	0	बस्तर	15000	15000
4	कांकेर	495197	250000	धमतरी –120000 रायपुर 50000 एवं दुर्ग 25197	195197	445197	0	धमतरी	50000	50000
5	कोंडागांव	261285	150000	धमतरी –96285	96285	246285	15000		0	15000
6	नारायणपुर	38551	17000	कांकेर/धमतरी	7551	24551	7000	कांकेर	7000	14000
7	सुकमा	70715	33000	बस्तर एवं अन्य मैदानी जिले	17715	50715	0	बस्तर	20000	20000
8	बिलासपुर	620215	620215		0	620215	0		0	0
9	गौरेलापेन्ड्रामरवाही	110036	110036		0	110036	0		0	0
10	जांजगीरचाम्पा	558603	558603		0	558603	0		0	0
11	कोरबा	257426	257426		0	257426	0		0	0
12	मुंगेली	480754	280000	बिलासपुर–100000 कोरबा–100754	200754	480754	0		0	0
13	रायगढ़	499275	499275		0	499275	0		0	0
14	सक्ती	441395	441395		0	441395	0		0	0
15	सारंगढ़बिलाईगढ़	399837	399837		0	399837	0		0	0
16	बालोद	686588	430000	धमतरी–150000 दुर्ग 106588	256588	686588	0		0	0
17	बेमेतरा	802842	400000	रायपुर–200000 बिलासपुर–100000, दुर्ग–102842	402842	802842	0		0	0
18	दुर्ग	521463	521463		0	521463	0		0	0
19	कवर्धा	537853	280000	रायपुर–90000 बिलासपुर–70000, दुर्ग–50000 कोरबा –47853	257853	537853	0		0	0
20	राजनांदगांव	640101	380000	रायपुर–80000 दुर्ग–120000 धमतरी –60101	260101	640101	0		0	0
21	खैरागढ़छुईखदानगण्डई	340050	80000	रायपुर–80000 दुर्ग–120000 राजनांदगांव–60050	260050	340050	0		0	0
22	मोहलामानपुरअं.चौकी	220480	50000	दुर्ग–60000 राजनांदगांव–60000 बालोद–30000 रायपुर–10000 धमतरी–10480	170480	220480	0		0	0

क्र.	जिला	खरीफ वर्ष 2023–24 में अनुमानित धान उपार्जन	मिलर द्वारा समिति से सीधे उठाव				संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण			
			स्वयं के जिले से	अन्य जिले के मिलर		स्वयँ एवं अन्य जिले की समितियों से सीधे उठाव की मात्रा	स्वयं के जिले के संग्रहण केन्द्र में	अन्य जिले के संगहण केन्द्र में		संग्रहण केन्द्रों को कुल प्रदाय धान की मात्रा
			मात्रा	जिला	मात्रा		मात्रा	जिला	मात्रा	
23	बलौदाबाजार	747892	450000	जांजगीर–80000 सारंगढ–70000 रायपुर–50000 रायगढ–40000 सक्ती–57892	297892	747892	0		0	0
24	धमतरी	547711	547711		0	547711	0		0	0
25	गरियाबंद	461650	280000	रायपुर–70000 धमतरी–61650	131650	411650	50000		0	50000
26	महासमुंद	996248	770000	सारंगढ–70000 जांजगीर–50000 रायगढ–50000 सक्ती–30000 रायपुर–10000 धमतरी–16248	226248	996248	0		0	0
27	रायपुर	624195	624195		0	624195	0		0	0
28	बलरामपुर	208722	208722		0	208722	0		0	0
29	जशपुर	237780	237780		0	237780	0		0	0
30	कोरिया	113666	50000	बलरामपुर–15000 जशपुर–20000 मनेंद्रगढ–28666	63666	113666	0		0	0
31	सरगुजा	288134	288134		0	288134	0		0	0
32	सुरजपूर	320365	250000	कोरबा–40000 सरगुजा–20000 बलरामपुर–10365	70365	320365	0		0	0
33	मनेन्द्रगढ़चिरमिरीभरतपुर	85589	85589		0	85589	0		0	0
		13000369	**9704380**	**0**	3016990	**12721369**	**122000**	**0**	**157000**	**279000**

उपरोक्त कार्ययोजना खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में अनुमानित धान उपार्जन एवं गत वर्ष अंतर्जिला उठाव के आधार पर तैयार की गई है। किसी जिले में धान उपार्जन कम /अधिक होने, अंतर्जिला धान उठाव कम/अधिक होने एवं एफ.सी. आई./नान की चावल आवश्यकता में परिवर्तन होने इत्यादि कारणो से परिस्थिति अनुसार कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी। अतः उपरोक्त कार्ययोजना में परिस्थिति अनुसार प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना शासन को दी जायेगी।

-32-

1(4)/2018-Py.1

परिशिष्ट-4

I/45153/2023

No. 1(4)/2018-Py.I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Food and Public Distribution
.....

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated 03-05-2023

To,

The Addl. Chief Secretary/ Pr. Secretary/ Secretary (Food),
(Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.)

स. (का.) खा.ना.आ. एवं उप. सर.वि.
दिनांक 03/05/2023

Subject: Deployment of biometric based procurement system, timely payment of MSP and real time sharing of data on CFPP - reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that State Govt. of Uttar Pradesh is undertaking procurement of foodgrains through bio-metric based procurement system. To improve transparency in procurement operations, all States/UTs are requested to deploy bio-metric based procurement system and to include this as Minimum Threshold Parameter for procurement under MSP for central pool in addition to two more MTPs i.e. i) Linking of electricity consumption of mills with milled quantity of paddy; & (ii) Tracking of vehicles movement from procurement centres to rice mills and from rice mills to godowns for paddy/rice and from procurement centres to godowns in case of wheat and coarsegrain as requested vide this Department's letter of even number dated 06.01.2023. These may be implemented by **June, 2023**.

2 . Also, as per MoU, MSP payment to farmers is preferably to be made within 48 hours, but it is observed that in practice, States are making MSP payment to farmers in a period ranging from 3 days to 1 months. **Therefore, all State/UT Governments are requested to ensure payment of MSP to farmers preferably within 48 hours from the issue acceptance letter in procurement centre and not more than 7 days in any case, from KMS 2023-24.**

3 . It has also been observed that there are discrepancies in the procurement and MSP payment data shared over Central Food Procurement Portal (CFPP). Hence, it is requested all States/UTs to resolve all discrepancies in sharing data at CFPP portal and to ensure sharing of data on real time basis.

4. Any clarification/assistance, if required, in respect of revised MTP parameters, sharing of procurement data, Shri AJK Jose, Technical Director, NIC (Phone-011-24305725, email-ajk.jose@nic.in) and Shri Ashok Kumar Sinha, Deputy General Manager (IT), FCI (Phone-011-43527480, email-dgmit.fci@gov.in) may be approached. Action taken report may kindly be provided to CGM (IT)/DGM(IT), FCI, New Delhi, Shri AJK Jose, TD, NIC & to this Department at the earliest.

-33-

I/45153/2023

5. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully

Signed by Ashok Kumar Verma
Date: 03-05-2023 10:29:21

(Ashok Kumar Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Email:- uspy1.fpd@nic.in

Copy for information and necessary action to:

1. CMD, FCI, New Delhi
2. ED(Proc)/ED(IT), FCI, New Delhi.
3. CGM(IT)/GM(IT)/GM(Pro)/GM(P&R)/DGM(IT), FCI, New Delhi.
4. Ms Sameena Mukhija, Sr. TD/HOD(NIC), DFPD.
5 Shri A.J.K Jose, Technical Director, NIC, DFPD
6. GM, Regional Office, FCI (All States/UTs) - with request to follow up with States/UTs
7. Director (Py-III)/ DS (FC A/Cs), DFPD

परिशिष्ट-5

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 4–8/2023/29–1/ नवा रायपुर, दिनांक 07/08/2023

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

2. संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
संचालनालय, नवा रायपुर

3. प्रबंध संचालक,
अपैक्स बैंक, नवा रायपुर

विषय– खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ–1. छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 2767/एफ–03 /19/विविध/2021/14–2 दिनांक 11.07.2023 एवं पत्र दिनांक 03.08.2023.
2. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक I(4)/2018-Py.I दिनांक 03.05.2023

1/ छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा जारी संदर्भित पत्र दिनांक 11.07.2023 में कृषकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में एक बार पंजीयन कराने संबंधी निर्देश प्रसारित किया गया है । उक्त निर्देश के अनुसार कृषकों का पंजीयन दिनांक 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2023 तक कराया जाना आवश्यक है (परिशिष्ट–1) । Aadhar based authentication हेतु किसानों की आयु एवं आधार की जानकारी अनिवार्य है । अतएव सभी पंजीकृत/ पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषकों के आधार की जानकारी अनिवार्य इंद्राज कराये जाने के निर्देश है ।

2/ छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा जारी संदर्भित पत्र दिनांक 03.08.2023 द्वारा उपके पत्र दिनांक 28.09.2021 में एकीकृत किसान पोर्टल के संचालन संबंधी जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 4.10 एवं 6.1.5 से 6.1.8 में (परिशिष्ट–2) निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

(क) योजना के अंतर्गत पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषको को सहकारी समिति द्वारा साफ्टवेयर के लॉगिन में मैन्युअली कैरीफारवर्ड किया जायेगा ।

(ख) नवीन पंजीयन एवं संशोधन के लिये कृषक आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका , बी–1 , आधार नंबर , पासबुक की छायाप्रति के साथ समिति के पास जमा कर पावती प्राप्त कर सकेगा ।

(ग) समिति द्वारा कृषक के आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा ।

(घ) कृषक के आवेदन अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा कृषक के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी ।

यदि किसान द्वारा बिन्दु क्रमांक (ख) अनुसार कोई संशोधन हेतु आवेदन दिनांक 30 सितंबर 2023 तक समिति में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो समिति द्वारा पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों की जानकारी खरीफ वर्ष 2023–24 के लिये किसान पंजीयन हेतु कैरीफारवर्ड किया जा सकेगा । इस संबंध में कृषकों को सूचित किया जावे।

3/ एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है । धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा । खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 03.05.2023 में खरीद कार्यों में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । अतः उक्त के संबंध में प्रारंभिक तैयारी किया जाना आवश्यक है ।

खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में किसान पंजीयन के संबंध में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे :–

3.1 विगत खरीफ वर्ष 2022–23 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 के लिए पंजीकृत माना जाए एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2022–23 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जावे । उक्त कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जावे ।

3.2 एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषकों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर 2023 तक किये जाने के निर्देश है । अतः किसान पंजीयन संबंधी कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कर लिया जावे ।

3.3 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में पंजीकृत धान एवं मक्का कृषकों से ही समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन की कार्यवाही की जावेगी ।

3.4 संस्थागत/रेगहा/बटाईदार/लीज एवं डुबान क्षेत्र के कृषकों का पंजीयन हेतु विगत वर्ष विभागीय पत्र कमांक एफ 4–13/2021/29–1 दिनांक 09.11.2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे । उक्त दिशा–निर्देश अनुसार ही खरीफ वर्ष 2023–24 में पंजीयन किया जाना सुनिश्चित किया जावे (परिशिष्ट–3) ।

3.5 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में Aadhar based authentication प्रणाली हेतु किसान पंजीयन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जावे :–

3.5.1 (क) किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वंय उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है । इसके लिए **किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान पंजीयन अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाए** । नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू, सगा भाई/बहन) एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा । साथ ही किसानों से धान खरीदी करने के लिए संभावित Exception के निराकरण हेतु संलग्न SOP के अनुसार (परिशिष्ट–4) बायोमेट्रिक

एथेन्टिकेशन के लिए Trusted Person (विश्वसनीय व्यक्ति) प्रत्येक खरीदी केन्द्र हेतु रखा जाए । Trusted Person की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जावेगी ।

(ख) **नामिनी की जानकारी गत खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में पंजीकृत किसान एवं खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान सभी से एकत्र किया जावे ।**

(ग) हिस्सेदार/बटाईदार/अधिया रेगा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वंय पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा ।

(घ) यदि किसी कारणवश किसान को अपना नामिनी एवं उसका आधार नंबर परिवर्तन करना हो तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी (SDM)/ तहसीलदार द्वारा किया जाए ।

(ड.) प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाए ।

3.5.2 खरीदी केंद्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाए ।

3.5.3 आधार प्रमाणीकरण (Authentication) यदि बायोमेट्रिक के माध्यम से सफलतापूर्वक दर्ज नहीं होता है उस स्थिति में अंतिम विकल्प के रूप में आधार से लिंक मोबाइल नंबर में OTP भेजकर किसान नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी दिया रहेगा । पंजीयन के दौरान किसान का मोबाईल नंबर अद्यतन कर लिया जावे ।

3.5.4 बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली के प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जाए ।

3.5.5 किसान को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी हेतु खरीदी केन्द्र स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाए ।

कृपया उपरोक्त जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप किसान पंजीयन संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(टोपेश्वर वर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

पृ. कमांक एफ 4–8/2021/29–1/ नवा रायपुर, दिनांक 07/8/2023

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर । कृपया एकीकृत किसान पोर्टल सॉफ्टवेयर में उचित प्रावधान किये जाने हेतु प्रेषित ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
5. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, सिविल लाईन, रायपुर ।

7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य राहकारी विपणन संघ मर्या. नवा रायपुर ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नवा रायपुर ।
9. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

क्र/2767/एफ–03/19/विविध/2021/14–2 नवा रायपुर, दि 11/07/2023

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग।
5. संचालक, कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, नवा रायपुर अटल नगर।
6. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर।
7. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), मंत्रालय, रायपुर।

विषयः राजीव गांधी किसान न्याय योजना (RGKNY) अंतर्गत एकीकृत किसान पोर्टल में कृषकों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भः विभागीय पत्र क्रमांक 4985/एफ–03/19/विविध/2021/14–2 दिनांक 28.09.2021।

—00—

राज्य शासन द्वारा संदर्भित विभागीय परिपत्र के माध्यम से प्रदेश के कृषकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में एक बार पंजीयन (one time registration) कराने संबंधी निर्देश प्रसारित किया गया है। उक्त निर्देश के निरंतर में वर्ष 2023–24 में राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत कृषकों के पंजीयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जावेः–

1. Aadhar based authentication हेतु किसानों की आयु एवं आधार की जानकारी अनिवार्य है। अतएव सभी पंजीकृत/पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषकों के आधार की जानकारी अनिवार्य इंद्राज किया जावे।
2. राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत खरीफ मौसम 2023 में कृषि, उद्यानिकी फसल, धान के बदले अन्य फसल एवं वृक्षारोपण करने वाले नवीन कृषकों का संबंधित सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन कराया जावे।
3. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न केन्द्रप्रवर्तित एंव राज्य पोषित योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शन/अनुदान में प्रदाय कृषि (अनाज, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी) तथा उद्यानिकी फसलों के बीज, ऑल पॉम, फलदार वृक्षारोपण, शाक–सब्जी आदि हितग्राही की जानकारी पोर्टल में इंद्राज कराया जावे।
4. कृषकों द्वारा पूर्व में पंजीकृत कराये गये फसल/रकबा में परिवर्तन होने पर पोर्टल मे यथाआवश्यक संशोधन किया जाये।
5. बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने वाले सभी कृषकों को छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के साथ–साथ एकीकृत किसान पोर्टल मे भी पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
6. गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सहकारी शक्कर कारखाना एवं एकीकृत किसान पोर्टल मे पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार अनुरोध है कि उर्पयुक्त निर्देशो के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक कृषकों का एकीकृत किसान पोर्टल में दिनांक 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2023 तक पंजीयन कराना आवश्यक है। तदानुसार प्रचार–प्रसार हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को यथाआवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

(के.सी. पैकरा) 11/7/2023
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र/2768/एफ–03/19/विविध/2021/14–2 नवा रायपुर, दि. 11/09/2023

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, कृषि, संसदीय कार्य, पशुधन विकास, मछली पालन, जलसंसाधन, आयाकट तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. स्टॉफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन।
3. निज सचिव, विशेष सचिव, छ.ग. शासन कृषि विभाग।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., मंत्रालय, महानदी भवन की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

–५०

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर 492002

क्रमांक/3165/एफ–03/19/विविध/2021/14–2 रायपुर, दिनाँक 07/08/2023

प्रति,

1. सचिव, छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
2. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
3. सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग।
4. सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग।
5. संचालक, कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, छ.ग. रायपुर
6. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
7. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) रायपुर।

विषयः– एकीकृत किसान पोर्टल (Unified Farmer Portal-UFP) के संचालन संबंधी दिशा–निर्देश में संशोधन बाबत्।।

संदर्भः– 1. पत्र क. 4985/एफ–03/19/विविध/2021/14–2 दिनांक 28.09.21
2. पत्र क. 2767 दिनांक 11.07.2023।

—— 00 ——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क. 1 द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के संचालन संबंधी जारी दिशा–निर्देशो के बिन्दु क. 4.10 एवं 6.1.5 से 6.1.8 के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

4.10 योजना अंतर्गत पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों को सहकारी समिति द्वारा सॉफ्टवेयर के लॉगिन में मैन्युअली कैरी फारवर्ड किया जायेगा।

6.1.5 नवीन पंजीयन एवं संशोधन के लिये कृषक आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी–1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति के साथ समिति के पास जमा कर पावती प्राप्त कर सकेगा।

6.1.6 समिति द्वारा कृषक के आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजो का परीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा।

6.1.7 कृषक के आवेदन अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा कृषक के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।

नवीन प्रावधानः– उपरोक्त संशोधित बिन्दु 6.1.7 के उपरांत निम्नानुसार निर्देश नवीन प्रावधान के रूप में जोड़े जाते हैः–

6.1.8 पंजीकृत कृषक का निरस्तीकरण – कृषक की मृत्यु या भूमि पर मालिकाना अधिकार समाप्त होने या भूमि का डायवर्सन होने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही तहसीलदार के लॉगिन से की जाएगी।

6.1.9 नवीन पंजीयन/संशोधन का सत्यापन – ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से कृषक पंजीयन/संशोधन का सत्यापन किया जायेगा।

अन्य निर्देश संदर्भित पत्रों द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार यथावत् रहेंगे।

(के.सी.पैकरा) 07/08/2023
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमशः.....2

पृष्ठां.क्रमांक/3166/एफ–03/19/विविध/2021/14–2 रायपुर, दिनाँक03/08/2023

प्रतिलिपि:–

1. मान. मुख्यमंत्रीजी के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन।
2. माननीय मंत्री जी के निज, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छ.ग. शासन ।
3. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक,, पंचायत एंव ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, पशुधन विकास, मछली पालन, जलसंसाधन, आयाकट, स्कूल शिक्षा, सहकारिता विभाग, छ.ग. शासन ।
4. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन ।
5. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति विभाग, छ.ग. शासन।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
7. सचिव/विशेष सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/जनसंपर्क विभाग।
8. स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन।
9. निज सहायक, विशेष सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग.।
11. पंजीयक सहकारी संस्थाए, छ.ग. इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।
12. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमि./छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड)/छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि./छ.ग. राज्य लघु वनोपज सह. संघ/छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर।
13. संचालक, भू–अभिलेख/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/ पशुपालन/मछलीपालन/जनसंपर्क विभाग, छ.ग. इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।
14. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.।
15. समस्त कलेक्टर, छ.ग.।
16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, मंत्रालय, नया रायपुर।

8/3/2023
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांक एफ 4–13/2021/29–1 नवा रायपुर, दिनांक 01 नवंबर, 2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

2. प्रबंध संचालक,
अपैक्स बैंक, नवा रायपुर

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में।

संदर्भः–1. छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र कमांक 4985/एफ–03/19/विविध/2021/14–2 दिनांक 28.09.2021 ।

2. छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकांस एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र कमांक/5327/एफ–03/19/विविध/2021/14–2 दिनांक 02.11.2021

कृपया छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2/ संदर्भित पत्र दिनांक 28.09.2021 के बिंदु कमांक 4.4 के संदर्भ में संस्थागत/रेगहा/बटाईदार/लीज/डुबान क्षेत्र के कृषकों का खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में धान खरीदी हेतु पंजीयन विगत खरीफ वर्ष 2020–21 अनुसार निम्नानुसार किये जाने के निर्देश जारी किये जाते हैं :–

"विधिक व्यक्तियों यथा ट्रस्ट/मण्डल/प्रा.लि.कम्पनी/शाला विकास समिति/ केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान/महाविद्यालय आदि संस्थाओं द्वारा संस्था की भूमि को धान बोने के प्रयोजन हेतु यदि अन्य कृषकों को लीज अथवा अन्य माध्यम से प्रदाय किया गया है, तो संस्था की कुल धारित भूमि के अधीन, वास्तविक खेती करने वाले tenant farmers/lessees का पंजीयन किया जावे एवं समर्थन मूल्य की राशि इन कृषकों के खातों में भुगतान किया जावे । संस्था की ऋण पुस्तिका/B-1 आदि सुसंगत राजस्व अभिलेख समिति द्वारा प्राप्त किया जावे । संस्था के अधिकृत व्यक्ति (यथा ट्रस्टी) द्वारा समिति को लिखित में सूचना दी जावेगी कि संस्था की भूमि पर किन कृषकों द्वारा धान की खेती की जावेगी । इस जानकारी के आधार पर संबंधित कृषकों की सहमति से, पूर्ण विवरण सहित, पंजीयन किया जावेगा एवं MSP का भुगतान इन कृषकों के खातों में किया जावेगा । इस प्रकार संस्थाओं की भूमि पर वास्तविक खेती करने वालों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल सकेगा। यही व्यवस्था संयुक्त देयता समूहों/रेघा/अधिया कृषकों के द्वारा धान विकय हेतु अपनाई जाए।"

3/ डुबान क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर द्वारा डुबान क्षेत्र में धान बोने वाले कृषकों द्वारा बोये गये धान का रकबा एवं उन्हें दी गई अनुमति का परीक्षण कराकर कृषक पंजीयन की कार्यवाही की जावे ।

4/ उपरोक्त कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार लिंक कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाए ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा किसान पंजीयन हेतु बढ़ाई गयी तिथि दिनांक 10 नवंबर 2021 के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(मनोज कुमार सोनी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 09 नवंबर, 2021

पृ. कमांक एफ 4–13/2021/29 - i

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. नवा रायपुर ।
6. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर ।
8. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, नवा रायपुर ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट–4

बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी के लिए SOP

1. यदि किसान द्वारा स्वंय खरीदी केन्द्र में उपस्थित नहीं हो सकता है तो उसके नामिनी द्वारा खरीदी केन्द्र में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन के आधार पर धान विक्रय कर सकता है । यदि उपरोक्त आधार पर भी धान विक्रय में कठिनाई आती है तो Trusted Person के द्वारा बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन कर धान विक्रय किया जा सकेगा ।

   1.1 एक खरीदी केन्द्र में एक से अधिक Trusted Person हो सकते हैं, जो उस खरीदी केन्द्र में किसी भी लाभार्थी को उसके पात्रता अनुरूप धान विक्रय करने में सहायता कर सकते हैं ।

   1.2 Trusted Person समिति का व्यक्ति नहीं होगा ।

   1.3 कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी यथा सहायक खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, खरीदी केन्द्र का नोडल अधिकारी आदि में से कोई एक Trusted Person हो सकता है ।

2. उपरोक्त शर्त सभी किसानों के लिए लागू होंगे ।

परिशिष्ट-6

No 15-8/2004-Py.III(Pt.)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
....

Krishi Bhawan,New Delhi
Dated 18th May, 2017

To

1. The Principal Secretary / Secretary (Food),
Governments of Andhra Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Odisha, Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu, Uttarakhand, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal.

2. The Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi.

3. The CMD, FCI-HQ, New Delhi.

4. The Jute Commissioner, Kolkata.

5. Director General (S&D), DGS&D, New Delhi

Subject: Guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy.

Sir,

I am directed to refer to the "Guidelines for use of Paddy released jute Bags which have been used only once for procurement of wheat, coarse grains & paddy regarding amendment in gunny depreciation" issued vide this department letter of even no. dated 04.02.2016 which has now been revised as given below.

2. The revised guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy has been approved by the Competent Authority. The same is enclosed herewith for further necessary action.

Encl: As above.

Yours faithfully,

23 MAY 2017

क्रमांक ....193 — T.Sa...
आयुक्त, खाद्य, नाग.आ. एवं उ.सं. विभाग
दिनांक 23 MAY 2017 2017

(Brij Bihari Lal)
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

Copy To:

1. Joint Secretary (BP&PD).
2. Joint Secretary (Impex, SRA & EOP&IC).
3. DS (Finance).
4. PS to JS (P&FCI).
5. PI Cell, FC A/Cs Section.

PI-SK

SC (MS)
JS (GS) Together

Revised Guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy:

i) Once this policy comes into force, earlier policy of once used gunny bags issued vide letter no. 15-8/2004.Py.III(Pt.) dated 04.02.2016 will be superseded

ii) Only new jute bags shall be made available for packaging of the quantum of rice to be procured under central pool.

iii) These new jute bags shall be used for packaging of procured paddy along with the old bags subject to the condition that at least half of the procured paddy is to be filled in new jute bags in which rice is to be delivered after milling. The packaging of food grains during procurement should be ensured as per provisions of Jute Packaging Materials Act, 1987 (JPMA).

iv) Old or any type of bags, irrespective of their marketing season, are permitted for packaging of procured paddy during procurement operation subject to condition that there is no loss of paddy in terms of quality and quantity. In case, any loss is experienced, it will be solely on account of State Government.

v) Arrangement of any type of bags for packaging of procured paddy shall be the responsibility of concerned state Governments and their agencies.

vi) For packaging of procured paddy in any type of bags during procurement operation, only usage charges shall be allowed in provisional cost sheet to State Government and will be fixed by GoI from time to time.

18/5/2017

परिशिष्ट-7

No 15 (8)/20... Py III(Pt)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated ~~September~~ 5th October, 2017

To

1 The Principal Secretary/ Secretary (Food)
Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.
2 The CMD, FCI-HQ, New Delhi.

Subject: Revision of Usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2017-18 as per existing guidelines.

Sir,

I am directed to refer to this department letter of even no dated 11.08.2017 wherein usage charges on the earlier recommendations from FCI @Rs 10/qtl for packaging of procured paddy as per existing guidelines were communicated.

2 Considering the requests regarding enhancement of usage charges made by States & on the basis of revised recommendations received from FCI, it is to inform that this department has decided to revise the usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2017-18 to lower of the actual claim of State Govt or Rs 7.32/bag subject to the following conditions:

a) The said usage charges shall be admissible subject to the State's Principal/Food Secretary or M D of State Agency shall certify that for filling of paddy, the old bags arranged by the State/miller is being used only once after purchase. State shall also provide necessary supporting documents/certifications of gunny accounts.

b) In case State fails to provide appropriate documentation/certification, the usage charges shall be limited to Rs 3.75/bag for packaging of procured paddy in old bags or actual claim whichever is lower.

c) (i) The cost associated with proposed usage charges i.e Rs 7.32/bag shall be considered as per practice of filling of average 37.5 Kg paddy in a bag of 50 Kg capacity. In case State Govt fills more than 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg jute bag, the actual number of old bags filled with paddy required for 1 quintal of CMR (after applying relevant OTR) shall be considered. For example, if State Govt actually fills 40 Kg paddy in 50 Kg capacity jute bags, the actual number of old bags considered shall be 1.73 bags for Raw-rice and 1.68 bags for parboiled rice after applying OTR of 0.67 & 0.68 respectively.

(ii) In case State Govt fills 37.5 Kg paddy or lesser than 37.5 kg paddy in a capacity of 50 Kg Jute bag, reimbursement w.r.t 1 quintal of CMR (considering OTR as 0.67) shall be considered for cost of 2 new bags & usage charges will be admissible for 1.98 old jute bags as per standard practice of filling average 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg bag.

d) The usage charge will be allowed for half of the quantity of paddy procured by State. Rest half of paddy is to be packed in new gunny bags in which rice is to be delivered subsequently.

e) Provisions of GFR of 2005/2017 should be followed by States/FCI while arranging bags for packaging of procured paddy as per existing guidelines.

3 This issues with the approval of competent authority

सचिव, खा. सा. आ. एवं उ.म. निगम
दिनांक 12-X-17...201

11 OCT 2017

Yours faithfully,

(Brij Bihari Lal) 5/10/2017
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

-48-

परिशिष्ट-8

No. 15 14, 2018-Py III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
Krishi Bhavan, New Delhi.
****

Dated Nov, 2018
13th Dec, 2018

To

1. The Principal Secretary/ Secretary (Food),
All States/UTs.

2. The CMD, FCI-HQ, New Delhi

Subject: Usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2018-19 onwards as per existing guidelines.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this department letter no. 15-8/2004.Py.III(Pt.) dated 18.05.2017 wherein guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy were communicated.

2 Considering the requests made by States relating to practical problems faced by them w r.t conditions specified in usage charge for KMS 2017-18 in letter dated 05.10.2017 and discussion held with the States, it is to inform that this Department has decided to fix the usage charges for packaging of paddy for KMS 2018-19 as Rs 7 32/bag or the actual cost incurred by the State Govt, if it is lower than Rs 7 32/bag subject to the following conditions

a)The concerned Agency/State Government shall maintain a proper account of the number of used jute bags procured and used for packaging of paddy procured in a Procurement Season in the format enclosed as Annexure-I The account of bags shall have to be maintained at the level of the miller/SPA, if the procurement of old bags is done by them, and after compilation of said information, the State shall have to provide the following declaration along with the consolidated account of bags while submitting the claim for usage charges:

"This is certified that account of gunny bags furnished in the format as prescribed in Annexure-I of letter no .... dated .... For KMS/..... is based on actual details of Gunny bags maintained by the State/SPA's/millers"

Signature:(SPA/Secretary (Food), State)
Full Name:

b) The claim of the State/UT for the reimbursement of usage charges shall not be considered if the State/UT fails to furnish the aforesaid undertaking/certificate and account of bags in prescribed format as per Annexure I.

c) States/SPAs must keep the record of procurement of used bags, like work orders for the supply of used bags and payment vouchers. In case of used bags being procured by millers, the records in support of procurement shall be maintained by the millers and the records of procurement so maintained by millers/SPAs/State shall be available for the inspection by higher authorities of State/ Central Govt and Audit.

d) The cost associated with proposed usage charges i.e Rs 7.32/bag shall be considered as per practice of filling of average 37.5 Kg paddy in a bag of 50 Kg capacity. In case, State Govt fills more than 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg jute bag, the actual number of old bags filled with paddy required for 1 quintal of CMR (after applying relevant OTR) shall be considered. For example, if State Govt actually fills 40 Kg paddy in 50 Kg capacity jute bags, the actual number of old bags considered shall be 1.73 bags for Raw-rice and 1.68 bags for parboiled rice after applying OTR of 0.67 and 0.68 respectively.

e) In case, State Govt fills 37.5 Kg paddy or lesser than 37.5 kg paddy in a capacity of 50 Kg Jute bag, reimbursement w.r.t 1 quintal of CMR (considering OTR as 0.67) shall be considered for cost of 2 new bags & usage charges will be admissible for 1.98 old jute bags as per standard practice of filling average 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg bag.

f) Provisions of GFR of 2005/2017 should be followed by States/FCI while arranging bags for packaging of procured paddy as per existing guidelines.

g) Further, the competent authority of State Agency/Govt should also certify at the time of subsidy claim and settlement of claim that "the applicable terms and condition of usage charges which are modified from time to time as per DFPD order/letter for usage charges has been duly compiled by State Agency/Govt".

3. These instructions shall remain in force for KMS 2018-19 onwards.

4. This issues with the approval of competent authority.

Encl: As Above.

Yours faithfully,
13.12.2018
(Inderdeep Kandawal)
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

Copy To.
1. The Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi.
2. PPS to JS(P&FC).
3. PS to Dir.(Py III)
4. PS to Dir (FC A/cs). - 50 -
5. PS to Dir (Finance)
[illegible]

Annexure-I

Procurement Season: KMS.....

Quantity of paddy procured (1)	No of new bags procured (2)	Actual cost of bags procured (3)	No of new bags used for CMR (4)	No of new bags that remained unused. (5)	No of Old bags in stock		No of old bags used in the current season (7)	No of old bags that remained unused (8)	Actual cost of unused bags (9)
					Carried over from previous season (6a)	Procured for the current season ** (6b)			

Sd/-

Signed by competent authority of State Govt/Agency and Chartered Accountant

** Usage Charges shall be applicable for only 6b.

परिशिष्ट-9

KMS 22-23 Paddy Letter

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

कमांक एफ 4–17 / 2022 / 29–1

नवा रायपुर, 24/04/2023

विभाग के पत्र कमांक एफ 4–14 / 2020 / 29– / पार्ट दिनांक 07 फरवरी, 2023 का अवलोकन करें । आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु बारदाना व्यवस्था के संबंध में आरंभिक तैयारी अभी से किया जाना आवश्यक है । यह संभावित है कि विगत वर्ष की भांति खरीफ वर्ष 2023–24 में नये जूट बारदानो की आपूर्ति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा राज्य की धान खरीदी के लिए आवश्यकता एवं मांग अनुसार न हो । उपरोक्त स्थिति में नये जूट बारदाने की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होने से उसकी पूर्ति पीडीएस के जूट बारदाने से करनी पड़ेगी । इसके लिए उचित मूल्य दुकानों में माह अप्रैल, 2023 में राशन वितरण के पश्चात बचत पीडीएस के जूट बारदानों को अभी से ही सुरक्षित रूप से रखा जाना आवश्यक है ।

उपरोक्त स्थिति में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(11) के तहत यह निर्देशित किया जाता है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदानों में खाद्यान्न वितरण के पश्चात धान खरीदी कार्य हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी जाती है । अतः पीडीएस बारदाने का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में केवल धान खरीदी हेतु ही किया जावेगा । उचित मूल्य दुकानों में संग्रहित पीडीएस बारदाने का धान खरीदी के दौरान उपलब्ध करायी जावे, इस संबंध में **मार्गदर्शी सिद्धांत परिशिष्ट–1** पर संलग्न है ।

जिले में पीडीएस बारदाने के एकत्रीकरण कराने एवं समय–समय पर मॉनिटरिंग करने का कार्य कलेक्टर द्वारा की जावे । पीडीएस बारदाना एकत्रित, संग्रहित, सुरक्षित रखरखाव एवं वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की धान खरीदी हेतु एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) एवं समितियों की होगी । पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा समितियों में पीडीएस बारदाने को सुरक्षित रखने के संबंध में समुचित दिशा–निर्देश जारी किया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24/4/2023

(टोपेश्वर वर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

52

पृ. क्रमांक एफ 4–17/2022/29–1/ नवा रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
3. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
5. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर, अटल नगर ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. नवा रायपुर अटल नगर ।
7. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक, नवा रायपुर अटल नगर ।
8. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
9. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी., मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।

24/4/2023

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट–1

आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में धान खरीदी हेतु पीडीएस बारदाने एकत्रीकरण एवं उपयोग के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत

1. जिले में खरीफ वर्ष 2023–24 में समर्थन मूल्य पर अनुमानित धान उपार्जन के आधार पर पुराने बारदानों की आवश्यकता का आकलन कर लिया जावे ।
2. राशन दुकानों में पूर्व में भंडारित किये गये खाद्यान्न एवं आगामी समय में भण्डारित होने वाले खाद्यान्न का जूट बारदाना राशन वितरण के पश्चात राशन दुकानदारों द्वारा विक्रय न किया जावे । उक्त बारदानों को यथासंभव राशन दुकान में ही सुरक्षित रूप से संग्रहित कर रखा जावे ।
3. ऐसी प्राथमिक सहकारी समितियां जो धान खरीदी करती है एवं राशन दुकान भी संचालित करती है, उनके द्वारा राशन वितरण के पश्चात शेष बारदाने समिति स्तर पर ही सुरक्षित रखा जावे ।
4. जिले में राशन दुकान विभिन्न संस्थाओ जैसे – ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह उपभोक्ता भंडार आदि के द्वारा संचालित किये जाते है। ऐसे राशन दुकानों के बारदानो को धान खरीदी हेतु निकटस्थ समिति को प्रदाय किया जाना होगा, इसके लिए समिति से संलग्न राशन दुकानों की मैपिंग खरीफ वर्ष 2022–23 में की गई थी । किसी भी परिस्थिति में राशन दुकानों में खाद्यान्न वितरण पश्चात शेष पुराने जूट बोरों का विक्रय दुकानों द्वारा नही किया जाएगा । जिला स्तर इन निर्देशों का कियान्वयन कलेक्टर के मार्गदर्शन में DRCS/ARCS खाद्य अधिकारी तथा डी.एम.ओ. द्वारा सुनिश्चित किया जावे ।
5. यथासंभव पुराने बोरो का भंडारण समिति स्तर पर सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, चूंकि इनका अंततः उपयोग समिति स्तर पर ही होना है। किंतु मार्कफेड द्वारा भी आवश्यकतानुसार पुराने बोरो के संग्रहण/ एकत्रीकरण हेतु उपयुक्त स्थानों पर बारदाना संग्रहण केन्द्र की स्थापना की जावे, जहां से पुराने बोरे खरीदी केन्द्रों को प्रदाय किए जाएंगे ।
6. राशन दुकानों को जारी प्रतिमाह राशन आबंटन को ध्यान में रखते हुए राशन वितरण के पश्चात बचत बारदानों का आकलन कर लिया जावे । बचत बारदानों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य दुकानों में स्थान की उपलब्धता बनाये रखने हेतु बारदानों का समयानुसार उठाव कराकर बारदाना संग्रहण केन्द्रों में/समितियों में (स्थान की उपलब्धता अनुसार) भण्डारण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे ।
7. संग्रहण केन्द्रों/समिति में पीडीएस के एकत्रित पुराने बारदानों के सुरक्षित रखरखाव हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।
8. मार्कफेड द्वारा पीडीएस के बारदानों की प्राप्ति, वितरण, भुगतान इत्यादि के संबंध में सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार प्रावधान एन.आई.सी. के सहयोग से किया जावे ।
9. राशन दुकानों से प्राप्त बोरों पर केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क प्रदाय किया जावेगा ।
10. मार्कफेड द्वारा पीडीएस बारदानों की व्यवस्था के संबंध में समुचित दिशा–निर्देश प्रसारित किया जावे ।

21/4/2023

(टोपेश्वर वर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

परिशिष्ट-10

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड-ब, तृतीय तल, नया रायपुर फोन एवं फैक्स 0771-2510274
Email-clm.cg@nic.in

क्र. / विमा / धान खरीदी / 2017 रायपुर दिनांक 08..2017

प्रति,

प्रबंध संचालक,
~~राज्य सहकारी विपणन संघ~~
छत्तीसगढ़ रायपुर।

विषयः-धान खरीदी तथा संग्रहण केन्द्रों के बांट-माप के ऑनलाइन सत्यापन के संबंध में।
संदर्भः-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा दिनांक 11.08.2017 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देश।

उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 के संदर्भ में धान उपार्जन / संग्रहण केन्द्रों में उपयोग में लाए जाने वाले बांट-माप तथा तौल यंत्रों के सत्यापन के संदर्भ में कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना हैः-

01. प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों / संग्रहण केन्द्रों पर उपयोग में लाये जा रहे बांट-माप के सत्यापन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएंगे, जिसके लिए विभागीय वेबसाइट www.legalmetrology.cg.nic.in में व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है, इसके लिए यह आवश्यक है कि (1) प्रत्येक उपार्जन / संग्रहण केन्द्रों द्वारा बांट-माप के सत्यापन का निर्धारित शुल्क ई-चालान के माध्यम से खाद्य विभाग के अंतर्गत नापतौल के विभागीय शीर्ष 1475-00-106-0000 में जमा करनी होगी। (2) ऑनलाइन आवेदन के पूर्व केन्द्र प्रभारी द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक से संपर्क कर पिछले सत्यापन की तिथि एवं अधिकृत मोबाइल नंबर की प्रविष्टि backlog entry में करवाना होगा। जिससे आवेदक को उक्त मोबाइल नंबर पर User Id & Password प्राप्त हो सकेगा, जिसके आधार पर आवेदन की प्रविष्टि की जा सकेगी। (3)आवेदन के पश्चात् निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा उपकरणों के भौतिक सत्यापन की निर्धारित तिथि को केन्द्र प्रभारी निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहकर अपने बांट-माप का सत्यापन संपादित करवाएंगे, इस प्रक्रिया के लिए 03 दिवस की समयावधि निर्धारित है। (4) निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के 48 घंटे के भीतर बांट-माप के सत्यापन का प्रमाणपत्र संबंधित सहायक नियंत्रक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये जायेगें, जिसे केन्द्र प्रभारी डाउनलोड कर सकेंगे।

02. प्रत्येक खरीदी केन्द्रों पर 20 किलोग्राम वजन का एक सत्यापित टेस्ट वेट रखा जावे, ताकि तौल प्रक्रिया की आकस्मिक जांच सुनिश्चित की जा सके।

03. यह आवश्यक है कि उपार्जन केन्द्रों पर उपयोग में लाये जा रहे बांट एवं तौल यंत्र, विधिक मापविज्ञान निरीक्षक के द्वारा विधिमान्य रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित

...क्र. ...227... सचिव, खाद्य, ना.आ. एवं उ.सं. विभाग दिनांक ...17...08...2017

Pl. c/k.

JS (GS)
SS (MS)

D/ Arvind/Letter WM/ 2016

हों। यहा पर अवगत कराया जाना उचित होगा कि बांट माप का सत्यापन 24 माह की कालावधि में कम से कम एक बार कराया जाना आवश्यक होता है, जबकि स्वचालित तौल उपकरणों जैसे– इलेक्ट्रानिक वेईंग मशीन एवं धर्मकांटे (वेब्रिज) के सत्यापन की कालावधि 12 माह निर्धारित है। अतः ऐसे उपकरणों का सत्यापन वर्ष में एक बार कराया जाना अनिवार्य होता है।

04. यह भी देखना होगा कि लगातार उपयोग में लाए जाने के कारण अनेक बांट माप एवं तौल यत्रों की क्षमता प्रमाणिक स्थिति में नहीं रह पाती है, अतः ऐसे उपकरणों को उपयोग के पूर्व विभाग के निरीक्षकों के माध्यम से पुनः सत्यापन एवं प्रमाणित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

05. उपार्जन केन्द्र पर निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी किये गये सत्यापन प्रमाणपत्र, सहज एवं दृष्टिगोचर स्थान पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जावें, जिन्हें विक्रेता किसान आसानी से देखकर उपकरणों की सत्यता को लेकर सुनिश्चित हो सकें।

06. संग्रहण केन्द्रों में केन्द्र प्रभारी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कर्मचारियों के साथ समिति से आने वाले धान का समय–समय पर रेंडम तौल निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के साथ किया जावे, ताकि तौल प्रकिया में पारदर्शिता लक्षित हो।

उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का उपार्जन तिथि के पूर्व प्रभावी रूप से अमल करवाना सुनिश्चित करेंगे।

/ नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नया रायपुर

16 AUG 2017 क्र. 1765 / विमा / धान खरीदी / 2017

रायपुर दिनांक 15/8/2017

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर दिनांक 11.08.2017 को उपार्जन की कार्य योजना की बैठक में दिये गये निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ।
02. समस्त जिला विपणन अधिकारी, राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
04. समस्त निरीक्षक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ वे धान खरीदी के पूर्व संबंधित उपार्जन केन्द्रों / संग्रहण केन्द्रों के समस्त बांट–माप का सत्यापन करा सुनिश्चित करें।

नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नया रायपुर

D/ Arvind/Letter WM/ 2617

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट – 11

खरीदी केन्द्र के नोडल अधिकारी द्वारा खरीदी केन्द्रों में चेक लिस्ट अनुसार निरीक्षण का प्रतिवेदन

उपार्जन केन्द्र - दिनांक -

क्रमांक	विषय	निरीक्षण में पाई गई स्थिति का विवरण
1	उपार्जन केन्द्रों हेतु स्थल चयन एवं साफ सफाई, फेसिंग	
2	विद्युत व्यवस्था है	
3	कम्प्यूटर सेट्स चालू हालत में है	
4	प्रिंटर चालू हालत में है	
5	यू.पी.एस. चालू हालत में है	
6	बायोमेट्रिक डिवाइस की उपलब्धता	
7	जनरेटर चालू हालत में है	
8	इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता	
9	आद्रतामापी यंत्र का केलिब्रेशन कराया गया है	
10	तौल हेतु कुल कांटा बॉट सेट्स की आवश्यकता	
11	उपार्जन केन्द्र में कांटा बांट सेट्स की उपलब्ध संख्या	
12	कांटा बांट का नाप-तौल विभाग से सत्यापन का दिनांक	
13	बारदानों की उपलब्धता -नये बारदाने	
14	बारदानों की उपलब्धता PDS-बारदाने	
15	पुराने बारदाने	
16	नए बारदानों में लगाये जाने वाले स्टेनसिल की व्यवस्था	
17	रंग एवं सुतली की व्यवस्था	
18	उपार्जन केन्द्र डाटा एन्ट्री आपरेटर की उपलब्धता	
19	उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी की उपलब्धता	
20	पर्याप्त संख्या में हमालों की व्यवस्था	
21	फड़ में भण्डारण हेतु उपलब्ध रकबा (हेक्टेयर में)	
22	खरीदी केन्द्र की बफर लिमिट की मात्रा	
23	उपलब्ध चबूतरों की संख्या	
24	तारपोलिन (प्लास्टिक) की कुल आवश्यकता (संख्या)	
25	तारपोलिन (प्लास्टिक) की उपार्जन केन्द्र में उपलब्धता (संख्या)	
26	डनेज की व्यवस्था	
27	किसान पंजीयन की स्थिति	
28	निकटतम संग्रहण केन्द्र का नाम एवं दूरी (कि.मी. में)	
29	प्राथमिक उपचार पेटी की व्यवस्था	
30	पीने के पानी की व्यवस्था	
31	समर्थन मूल्य के प्रदर्शन हेतु बेनर/पोस्टर लगाना	
32	औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) स्पेसीफिकेशन का प्रदर्शन (दीवार में लिखकर)	
33	औसत अच्छी किस्म का सेम्पल प्रदर्शित करना	
34	निगरानी समिति की नियुक्ति की स्थिति	
35	धान सुरक्षा एवं भण्डारण व्यय हेतु प्राप्त अग्रिम राशि विवरण (रू. में)	

दिनांक - निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम -

पदनाम -

हस्ताक्षर -

परिशिष्ट-12

File No.192(14)/2018-FCA/cs

No. 192(14)/2018-FC A/cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
Department of Food and PD

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 06/08/2019

To,

1. The Principal Secretary/Secretary
   All State Governments/UTs
2. The CMD, FCI, New Delhi.

Subject : Principles on transportation charges of paddy/CMR and wheat from KMS 2019-20 onwards in DCP (including Central Pool) & Non-DCP States regarding.

Sir,

With a view to simplifying the existing principles on transportation charges for paddy, CMR and wheat in the DCP(including Central Pool) and non-DCP States by harmonising them with the practical challenges faced by the agencies carrying out these operations, in supersession of the existing principles for the fixation of transportation charges for finalization of economic cost of paddy /Rice and Wheat, the following guidelines are issued to come into effect from KMS 2019-20 onwards.

I. There shall be a State Level Committee (SLC) with the State Food Secretary concerned as the Chairperson and ED, FCI and GM/FCI in-charge of the state concerned, two District Collectors from any of the procuring districts, and an officer from State Transport Department not below the rank of Deputy Secretary level officer as members.

II. For every state, a Schedule of Rates (SoR) for transportation charges shall be finalized by the SLC based on market survey. The SoR shall remain in force for a maximum of two years.

III. Competitive bidding, preferably through e-tendering, is to be done for finalizing transportation rates at the district level.

IV. The SLC shall examine the transportation rates finalised by the districts with reference to the SoR and decide the acceptability of the rates, taking into account the provisions of GFR. In the cases where the rates accepted show a major deviation from the SoR, the reasons for acceptance or rejection must be recorded in the minutes of the meeting of the SLC.

V. In case, there is a difference of opinion between State and FCI representatives in the SLC on the admissibility of the transportation charges for a district or more than one district, the matter shall be referred to CMD, FCI for decision, which must be communicated within two weeks of receiving the reference; and the decision of CMD, FCI shall be final.

VI. All the districts across the states shall follow uniform distance slabs: from 0 upto 8 kms, from 8 upto 20 kms, from 20 upto 40 kms, from 40 upto 80 kms and above 80 kms

क्रमांक. ....1267.........
विशेष सचिव /खाद्य / 20

VII The SLC shall finalise the standard bid document for the fixation of transportation charges, to be followed by all the districts in the State.

VIII. FCI should strive to ensure that the bidding document for the fixation of transportation charges is standardised across the States; and should also undertake a review of the state-wise transportation charges at the end of every marketing season.

IX. The principles mentioned above shall be applicable to the transportation of paddy from procurement centres to the rice mills, and of CMR from rice mills to the storage points, and of wheat from procurement centres to the storage points at the acquisition stage. At the distribution stage, these rates will be applicable for transporting CMR and wheat from storage points to the designated depots of the State only.

2. This issues with the approval of Hon'ble Minister for CAF&PD.

Yours faithfully,

(V.C. Sudeesh)
Director
Tel. No. 011-23382709

Copy to:

1. PPS to Secretary, FPD
2. PPS to AS&FA, FPD
3. PPS to Pr. Advisor(Cost)
4. PPS to JS(P&FCI)
5. PS to Director (FC Accounts)/Director(Finance & Budget)/ Director(Cost)/ Director(FCI)

परिशिष्ट -13

राज्य के सीमावर्ती जिलों के खरीदी केन्द्रों की सूची

क्रं.	उपार्जन केन्द्र का नाम
1	लरकेनी
2	लालपुर
3	सिवनी
4	जामगांव
5	लारा
6	अमलीपाली
7	रेगालपाली
8	डुलोपाली
9	सरिया
10	धौराभांडा
11	झिकलीपाली
12	बड़े नावापारा
13	पुकापारा
14	साकरा
15	लिबरा
16	लोईंग
17	साल्हेवारा
18	कल्लू बंजारी
19	जयसिंह टोला
20	चिल्हाटी
21	नचनिया
22	रामपुर
23	बकरकट्टा
24	बोरतालाब
25	सड़क छिरछारी (खोमा)
26	झाखरपारा
27	ढोर्रा
28	रसेला
29	तेतलखुंटी
30	दुल्ला
31	देवभोग
32	उरमाल
33	अकोरी
34	सिरबोडा

J S food

35	बलौदा
36	पटपरपाली
37	खेमड़ा
38	गढफूलझर
39	चिंवराकुंटा
40	देवरी
41	नर्रा
42	बेल्डीह
43	जेराभरण
44	सल्डीह
45	परसवानी
46	बुंदेली
47	बाघामुड़ा
48	कसेकेरा
49	कछारडीह
50	मुनगाशेर
51	कोमाखान
52	सुखीपाली
53	टोसगांव
54	जगलबेड़ा
55	सेमलिया
56	कामेश्वरनगर
57	चान्दो
58	भंवरमाल
59	रामचन्द्रपुर
60	बसंतपुर
61	वाड्रफनगर
62	गम्हरीया
63	कोनपारा
64	तपकरा
65	दुलदुला
66	चैनपुर
67	माड़ीसरई
68	नवगई

परिशिष्ट-14

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 4–8/खाद्य/2014/29–2/2434 नया रायपुर,04-07-2016

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
रायपुर

विषयः– **खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक कार्यों के संबंध में ।**

संदर्भः– प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर का पत्र कमांक/विप./7189/2016 दिनांक 04.03.2016

कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । धान खरीदी कार्य मे बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के तथा समन्वय एवं पर्यवेक्षण कार्य के रूप मे सुपरवाइजिंग कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) के प्रशासनिक कार्यों का निर्धारण कमशः परिशिष्ट "अ" एव परिशिष्ट "ब" अनुसार करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार** ।

(जी. एस. सिकरवार)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
नया रायपुर,04-07-2016

पृ.एफ 4–8/खाद्य/2014/29–2/2435

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नया रायपुर ।
3. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, नया रायपुर ।
4. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक, रायपुर ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हेतु प्रशासनिक कार्य

1. विपणन संघ द्वारा समितियों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि का ता तारीख भुगतान समितियों को कराया जावे ।
2. विपणन संघ द्वारा भंडारण एवं सुरक्षा हेतु प्रदाय राशि को समितियों को समय पर उपलब्ध कराना तथा उक्त राशि का नियमानुसार समुचित उपयोग कराकर धान/बारदानों की सुरक्षा कराना। समितयों के स्तर पर किये गये व्यय के देयकों को समिति माडयूल में प्रविष्टि करना ।
3. उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन कार्यो का सतत् निरीक्षण कर धान खरीदी की सभी जानकारी जिला स्तर पर संग्रहित करना एवं निराकरण करना तथा पाक्षिक जानकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराना ।
4. उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य में उपार्जित धान के उठाव हेतु हमाल आदि की व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करना ।
5. उपार्जन केन्द्रों में धान के उठाव हेतु परिवहन में आने वाले कठिनाईयों का निराकरण कर जॉनकारी उपलब्ध कराना ।
6. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु विपणन संघ द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का सही तरीके से सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित कराना ।
7. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का ता तारीख ऑनलाईन मॉडयूल में ऐन्ट्री सुनिश्चित कराना ।
8. समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की समिति स्तर या सग्रहण केन्द्र स्तर पर किस्म विवाद को जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से समयावधि में निराकरण कराना ।
9. विपणन संघ द्वार धान उपार्जन हेतु समिति को प्रदाय बारदाना में यदि समिति स्तर पर फंगस युक्त (अमानक) बारदाना प्राप्त हो तो समिति के साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराते हुए उक्त बारदाने की सूचना जिला विपणन अधिकारी को देते हुए बारदाना की समयावधि में विपणन संघ को वापसी सुनिश्चित कराना ।
10. उपार्जन केन्द्रों में कृषकों से कय किये गये धान का समय – समय पर किस्मवार भौतिक सत्यापन कराना ।
11. कृषकों से कय किये गये धान का समय पर तौल हो एवं निर्धारित समयावधि में भुगतान की व्यवस्था कराना ।
12. समिति स्तर पर धान की खरीदी के आधार पर बारदानों की आवश्यकता का आकलन करना तथा विपणन संघ को अवगत कराया जाना ।
13. समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में डनेज, तारपोलिन इत्यादि की व्यवस्था कराना ।
14. धान उपार्जन की पूर्णता उपरांत समितियों में शेष बारदानों की वापसी इस संबंध में राज्य शासन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित नियमानुसार वापसी सुनिश्चित कराना ।
15. धान उपार्जन एवं निराकरण उपरांत राज्य शासन/ विपणन संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विपणन संघ को प्रदाय किये गये स्कंध, प्राप्त राशि एवं बारदाना आदि संबंधित संव्यवहारों का मिलान पूर्ण कर संयुक्त हस्ताक्षरित मिलान पत्रक विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा ।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) हेतु प्रशासनिक कार्य

1. अपेक्स बैंक द्वारा धान खरीदी के पूर्व तैयारियों के अतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं सबद्ध समितियों /उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी से संबंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थायें, जिसके संबंध मे राज्य शासन/ विपणन संघ द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जावे एव तदाशय का प्रमाण पत्र विपणन संघ को उपलब्ध कराया जावे ।
2. प्रदेश के समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको को विपणन संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के भुगतान का बैंकवार एवं समितिवार जानकारी उपलब्ध कराना ।
3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको को विपणन संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का समितियों में वास्तविक धान खरीदी के अनुपात में राशि का अंतरण ता–तारीख कराया जाना सुनिश्चित करें तथा मासिक भुगतान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।
4. विपणन संघ द्वारा भंडारण एव सुरक्षा हेतु प्रदत्त राशि का शासकीय नियमानुसार अथवा स्वीकृत निविदा आधार पर समुचित उपयोग सुनिश्चित कराना तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से उक्त कार्य का प्रमाणीकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
5. समर्थन मूल्य में धान उपार्जन कार्यो की सतत् निरीक्षण हेतु टीम गठित कर उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की सतत मानिटरिंग कराकर पाक्षिक/मासिक जानकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराना ।
6. धान उपार्जन/निराकरण के संबध मे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से समन्वय कर समितियों से संबंधित समस्त जानकारी निर्धारित प्रारूप मे दैनिक आधार पर संकलित कर उपलब्ध कराना ।
7. समिति स्तर पर आने वाली समस्याओं जैसे – उपार्जन केन्द्रों /समितियों में धान के त्वरित उठाव हेतु परिवहन व्यवस्था की मानिटरिंग करना एवं समिति के बफर लिमिट से अधिक धान का परिवहन हेतु शासन /विपणन संघ द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराना ।
8. धान उपार्जन हेतु समितियों मे आवश्यक बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सतत मानिटरिंग कर समितियो को प्रदत्त बारदानों का उचित रखरखाव एवं धान की सुरक्षा हेतु आवश्यक डनेज एवं कैप कव्हर आदि की व्यवस्था गठित टीम के माध्यम से सुनिश्चित कराना ।
9. राज्य शासन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित मॉडयूल अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं समितियों में धान उपार्जन एवं राशि प्रदाय से संबंधित संव्यवहार/जानकारी की ऑनलाईन मॉडयूल में प्रतिदिन एन्ट्री सुनिश्चित कराना तथा मासिक प्रतिवेदन विपणन संघ को प्रस्तुत करना ।
10. अपेक्स बैंक द्वारा टीम गठित कर धान उपार्जन के प्रारंभ से समिति स्तर पर अंतिम रूप से प्रतिवेदित उपलब्ध स्कंध का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराना, जिसमे प्रारंभिक खरीदी के प्रथम एवं अंतिम प्रतिवेदित स्कंध का सत्यापन अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त निराकरण अवधि मे न्यूनतम मासिक आधार पर सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा । किये गये सत्यापन का प्रतिवेदन की प्रति विपणन संघ को उपलब्ध

कराना होगा । यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो विशेष प्रतिवेदन जिला कलेक्टर, विपणन सघ एवं राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना होगा ।

11 धान उपार्जन उपरांत समितियों में शेष बारदानों को विपणन सघ के संबधित जिला कार्यालय मे वापसी की कार्यवाही गठित टीम एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नियत्रण एव समन्वय में राज्य शासन /विपणन सघ के नियमानुसार वापसी सुनिश्चित कराना ।

12 अपेक्स बैंक द्वारा समितियों में उपार्जित धान के निराकरण उपरांत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं समितियो द्वारा विपणन संघ को प्रदाय किये गये स्कंध, प्राप्त राशि एवं बारदाना आदि से संबधित सव्यवहारों का मिलान राज्य शासन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित समयावधि एवं प्रारूप में कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराकर संयुक्त हस्ताक्षरित मिलान पत्रक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा ।

परिशिष्ट-15

अंतिम लेखामिलान के पश्चात् शार्टेज वाली समितियां/उपार्जन केन्द्र

दिनांक : 17/07/2023

क्रं.	सोसायटी का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	शार्टेज धान की मात्रा (क्वि. में)						
			मोटा		पतला			सरना	योग
			मोटा	महामाया	पतला	एच.एम.टी.	आई. आर. 36		
जिला का नाम :-कांकेर									
1	छोटेबेठिया	छोटेबेठिया	1682.4	0	0	0	0	0	1682.4
2	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	2471.1	0	11.2	0	0	0	2482.3
योग :-			**4153.5**	**0**	**11.2**	**0**	**0**	**0**	**4164.7**
जिला का नाम :-सरगुजा									
1	अमेरा	पुहपुटरा	1550	0	0	0	0	0	1550
योग :-			**1550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1550**
महायोग :-			**5703.5**	**0**	**11.2**	**0**	**0**	**0**	**5714.7**

JSfwd